रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092022-238527
CG-DL-E-01092022-238527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2022/भाद्र 10, 1944
No. 599] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022/BHADRA 10, 1944

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 678(अ).—केन्द्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श संशोधन नियम, 2022 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 2 के उप-नियम (1) के, -

(i) खंड (iv) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(vi क) "हित संघर्ष" से "ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें किसी व्यक्ति का निजी या व्यक्तिगत हित पर्याप्त रूप से अपने पदीय कर्तव्यों के उद्देश्य कार्य को प्रभावित करने के लिए होता है और जहां ऐसा व्यक्ति अधिनियम के अधीन परिभाषित किसी कानूनी संरचना के साथ जुड़ने के लिए अपात्र होगा।"

(iii) खंड (ix) में,-

(क) उप-खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(च) बचाव, पुन: बहाली और अनुवर्ती कार्रवाई";

(ख) उप-खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(छ) सामाजिक मुख्यधारा में लाना और पुनर्वास";

(iv) खंड (xii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(xii) "भारसाधक व्यक्ति या अधीक्षक" से बाल देखरेख संस्था नियंत्रण और प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है";

(v) खंड (xiv) में "संस्था में" शब्दों के स्थान पर, "संस्था के लिए" शब्द रखे जाएंगे;

(vi) खंड (xviii) में, -

(क) "स्नातक डिग्री और बाल शिक्षा तथा विकास या संरक्षण संबंधी मुद्दों पर कार्य का न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो" शब्दों के स्थान पर, "बाल शिक्षा और विकास से संबंधित मामलों में न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक" शब्दों को रखा जाएगा।

(ख) "अधिनियम या इन नियमों के अधीन" शब्दों के स्थान पर, "अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन" शब्दों को रखा जाएगा ।

(ग) स्पष्टीकरण में, "इस परिभाषा के प्रयोजन के लिए" शब्दों के स्थान पर, "इस खंड के प्रयोजन के लिए" शब्दों को रखा जाएगा।

3. मूल नियमों में, नियम 4 के उप-नियम (3) में, "न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष होगी" शब्दों के स्थान पर "अधिसूचना की तारीख को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष होगी और पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्दों को रखा जाएगा ।

4. मूल नियमों के नियम 5 में, -

(i) उप-नियम (2) में "जो कि लगातार नहीं होंगे" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ii) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) यदि बोर्ड के किसी सदस्य के विरूद्ध कोई शिकायत की जाती है तो राज्य सरकार, न्यायिक अधिकारियों की बाबत के सिवाय मामलों में आवश्यक जांच कराएगी; न्यायिक अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों को कार्यवाही हेतु उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास भेज दी जाएगी।

(6) राज्य सरकार दो मास की अवधि के भीतर जांच पूरा करेगी और एक मास के भीतर समुचित कार्यवाही करेगी।

(7) यदि संबंधित सदस्य के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज होता है तो यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार जांच करने और मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् या जो उपयुक्त समझे उतनी अवधि के लिए लंबित जांच के लिए सदस्य को तत्काल निलंबित कर सकेगी।"।

5. मूल नियमों के नियम 6 में, -

(i) उप-नियम (2) में "उपस्थित न रहे" शब्दों के स्थान पर "उपस्थित नहीं रहेगा" शब्दों को रखा जाएगा ।

(ii) उप-नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7क) बोर्ड, विधि संघर्ष करने वाले अधिकथित बालक या अध्यक्ष सहित बोर्ड के सदस्यों के शारीरिक परिवर्तन को सीमित करने वाले अपराधियों के मामले में वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से अपनी बैठकों का आयोजन कर सकेगा।

परंतु बच्चे के मामले में किसी डॉक्टर या मनोचिकित्सक या परामर्शदता या शारीरिक देखरेख की आवश्यकता हो तो बैठक नियम 6 के उप-नियम (1) में यथाउपबंधित परिसर में की जाएगी|"|

6. मूल नियमों के नियम 7 में, -

(i) उप-नियम (1) में खंड (v) "जिला बाल संरक्षण इकाई" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) उप-नियम (1) के खंड (vi) में "बोर्ड के परिसरों" शब्दों के पश्चात् "या संप्रेक्षण गृह या विशेष गृह या सुरक्षित स्थान" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उप-नियम (1) खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(vi क) सुझाव या शिकायत प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली का सृजन भी किया जाएगा, जिसे बोर्ड द्वारा पहुंच किया जा सके।

(iv) उप-नियम (1) के खंड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(viii) बच्चों के सुझाव या शिकायत पुस्तिका की प्रत्येक निरीक्षण के दौरान समीक्षा करेगा और बच्चों की बेहतरी के निर्धारण हेतु बच्चों की समस्याओं और मुद्दों को समझने के लिए बाल देखरेख संस्था के कर्मचारियों तथा भारसाधक व्यक्ति की अनुपस्थिति में बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों के साथ एक-एक करके या समूह में बातचीत करेगा और तदनुसार इन बाल देखरेख संस्थाओं को सूचना और सिफारिशें देगा|"

7. मूल नियमों के नियम 8 में,-

(i) उप-नियम (3) के खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii क) अधिनियम और नियमों के अधीन बालक के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में तुरंत बालक या माता-पिता या संरक्षक को भी सूचित करेगा ;

(iii ख) बालकों के अधिकारों को प्रत्येक पुलिस थाने और संप्रेषण गृहों, विशेष गृहों, सुरक्षित स्थान में प्रमुख स्थानों पर भी लगाएगा;"|

(ii) उप-नियम (6) में शब्द "और चाइल्डलाइन सेवाओं" का लोप किया जाएगा;

8. मूल नियमों के नियम 9 में, -

(i) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जांएगे, अर्थात् :-

"(2क) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट बालक से संबंधित सूचना जैसा कि इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, पोर्टल पर अपलोड की गई है।"।

(ii) उप-नियम (3) में "धारा 83" के शब्द और अंक के स्थान पर "धारा 78 और धारा 83" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

9. मूल नियमों के नियम 12 में,

(i) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2 क) जिला मजिस्ट्रेट उप-नियम (2) में प्रस्तुत संप्रेक्षण गृहों और इसी प्रकार के अन्य गृहों पर किए जाने वाले निरीक्षणों के दौरान पाई जाने वाली लंबितताओं, विषमताओं के कारणों का परीक्षण करेगा और बोर्ड के समक्ष मामलों की लंबितता में कमी लाने और प्राधिकरणों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए प्राधिकरणों जैसे कि पुलिस, चिकित्सा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें भेजेगा।

(2ख) जहां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समीक्षा से बोर्ड के सदस्यों के कारण लंबितता के कारणों का पता चलता है तो जिला मजिस्ट्रेट राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को सूचित करेगा ।

(2ग) राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को उपर्युक्त कार्यवाही की सिफारिश करेगी|";

(ii) उप-नियम (3) में, "इन नियमों के नियम 87 के अधीन गठित चयन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा" शब्दों के स्थान पर "उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी" शब्दों को रखा जाएगा।

10. मूल नियमों के नियम 15 में, -

(i) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा; अर्थात्:-

"(3) अध्यक्ष और सदस्य पैंतीस वर्ष से अधिक आयु के होगें किंतु पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के नहीं होगे और उनके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री होगी और जिनके पास बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात वर्ष का अनुभव हो या जो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में व्यवसायिक वृत्तिक डिग्री है।";

(ii) उप-नियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु इस उप-नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सदस्य के मामले में वर्जित नहीं होगी";

(iii) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4 क) समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को फार्म 49 के अनुसार शपथपत्र जमा करना होगा जिसमें अधिनियम की धारा 27 की उपधारा 4 क में अधिकथित किसी भी शर्त से आवेदक को वर्जित न किया गया हो। समुचित सरकार मानदंड के अनुसार उसका सत्यापन करेगी।

(4 ख) विदेश से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति समिति के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(4 ग) किसी गैर-सरकारी संगठन या किसी संगठन, जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करता हो जिनमें समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों का टकराव होता हो, उसमें अधिनियम को लागू करने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा|"

स्पष्टीकरण: शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, इसमें समिति के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित स्थितियों में से कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

(क) परिवार का कोई भी सदस्य जो किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है;

(ख) घनिष्ठ संबंध किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों या जिले में बचाव और पुनर्वास के लिए काम कर रहे व्यक्तियों के मामले;

(घ) बाल देखरेख संस्थान चलाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति या किसी गैर-सरकारी संगठन के बोर्ड या ट्रस्ट का सदस्य।

(4 घ) यदि समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार आवश्यक जांच करेगी और दो माह की अवधि के भीतर जांच को पूरा करेगी और राज्य सरकार जांच के पूरा होने के एक माह के भीतर उचित कार्यवाही करेगी।

(4 ड.) राज्य सरकार द्वारा जांच किए बिना समिति के किसी अध्यक्ष या सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।

(4 च) यदि संबंधित अध्यक्ष या सदस्य के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है, यदि आवश्यक हो तो सरकार संबंधित अध्यक्ष या सदस्य को तत्काल बिना जांच के लंबित करते हुए, उचित अवधि के लिए, या जांच करने के पश्चात् और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निलंबित कर सकती है|"|

11. मूल नियमों के नियम 16 के उप-नियम (4) में, "कोई भी ऐसा व्यक्ति कमरे में उपस्थित न रहे, जिसका मामले से कोई संबंध न हो" शब्दों के स्थान पर "मामले से न जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा" शब्दों को रखा जायेगा|

12. मूल नियमों के नियम 17 में, -

(i) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(iii क) अधिनियम की धारा 109 के अधीन निगरानी के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 30 के खंड (viii) के अधीन किए गए निरीक्षण की त्रैमासिक रिपोर्ट, जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत की जाएगी;";

(ii) खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) बाल देखरेख संस्थान में प्रत्येक निरीक्षण के दौरान, बाल सुझाव और शिकायत पुस्तिका की समीक्षा करेगा और उनकी बेहतरी के निर्धारण और तदनुसार बाल देखरेख संस्थाओं को सूचनाएं और सिफारिशें प्रदान करने के लिए बच्चों की समस्याओं और मामलों को समझने हेतु बाल देखरेख संस्था के कर्मचारियों तथा भारसाधक व्यक्ति की अनुपस्थिति में बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों के साथ एक-एक करके या समूह में बातचीत भी करेगा;";

(iii) खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(v क) अधिनियम की धारा 40 की उप धारा (4) के प्रयोजनों के लिए समिति, राज्य सरकार तथा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष वापस लाए गए, मृत या भागे हुए बच्चों के संबंध में प्ररुप 16 में त्रैमासिक सूचना प्रस्तुत करेगी;";

(iv) खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(vii क) कम से कम पांच साल तक के मामलों के रिकॉर्ड रखें|";

(v) खंड (viii) में, "सॉफ्टवेयर राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाए" शब्दों के पश्चात्, शब्द "जिसका कम से कम पांच साल के मामले का रिकॉर्ड रखा जाता है।" अंत:स्थापित किया जाएगा;

(vi) खंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंडों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ix) यह सुनिश्चित करेगी कि बिना किसी विधिक संरक्षक वाले बालकों को उनकी आयु पर विचार किए बिना शीघ्रातिशीघ्र अधिनियम, नियमों तथा विनियम में यथा-उपबंधित समय-सीमा के भीतर दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है;

(x) बिना संरक्षक वाले और कई वर्षों में अपने संरक्षकों के संपर्क में न रहने वाले बालकों के साथ बातचीत करेगी तथा पालक देखरेख और दत्तकग्रहण सहित परिवार आधारित देखभाल के लाभ के लिए इन बालकों को परामर्श देगी;

(xi) यथास्थिति, जिला बाल संरक्षण इकाई या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या बाल देखरेख संस्था को निदेश देते हुए और दत्तकग्रहण के लिए बालक की विधिक स्थिति को घोषित करने की प्रक्रिया में बालक के प्रस्तुतिकरण के मामले में वास्तविक और वर्चुअल दोनों तरीके से सभी संबंधित के साथ बातचीत करेगी|"|

13. मूल नियमों के नियम 18 में, -

(i) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) उन असाधारण स्थितियों में, जब बालक और समिति किसी असम्भाव्य परिस्थितियों के कारण एक दूसरे तक पहुंचने में निर्बाधित हो वहां बालक को वर्चुअल तरीके से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा और समिति पहले ही अवसर में बालक के साथ आमने-सामने बातचीत करेगी|";

(ii) उप-नियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(10) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि इस नियम में निर्दिष्ट बालक से संबंधित सूचना जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, पोर्टल पर अपलोड की गई है|"|

14. मूल नियमों के नियम 19 में, -

(i) उप-नियम (3) में "या बाल कल्याण अधिकारी" शब्दों के पश्चात "या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पदाभिहित अधिकारी" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

"(4) बालक को गैर-संस्थागत देखरेख में रखने के मामले में, समिति प्ररुप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना विकसित करने के लिए संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देश देगी और संस्थागत देखभाल के मामले में प्ररुप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना विकसित करने हेतु संबंधित बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन को निदेश देगी जिसमें पुनर्वास योजना भी शामिल है।

(4 क) प्रत्येक बालक के लिए तैयार की गई व्यक्तिगत देखरेख योजना, चाहे वो संस्थागत देखरेख में हो या गैर-संस्थागत देखरेख में, को बालक के इतिहास, परिस्थितियों तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर विकसित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए गैर-संस्थागत देखरेख में दत्तकग्रहण शामिल नहीं होता है|";

(iii) उप-नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7 क) समिति मामले का निपटारा करते हुए और संस्था में बालक को रखते समय यह सुनिश्चित करेगी कि वह संस्था अधिनियम की धारा 41 के अधीन एक पंजीकृत बाल देखरेख संस्था हो या अधिनियम की धारा 51 के अधीन घोषित उचित सुविधा हो|";

(iv) उप-नियम (8) में "या बाल कल्याण अधिकारी" शब्दों के पश्चात "या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पदाभिहित अधिकारी" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(v) उप-नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(8 क) जिला बाल संरक्षण इकाई पन्द्रह दिन के भीतर सामाजिक अन्वेषण पूरा करने के पश्चात्, बाल कल्याण समिति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।";

(vi) उप-नियम (17) में "या बाल कल्याण अधिकारी" शब्दों के पश्चात् "या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पदाभिहित अधिकारी" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा।

15. मूल नियमों के नियम 20 में, -

(i) उप-नियम (3) में, "इन नियमों के नियम 87 के अधीन गठित चयन समिति" शब्दों के स्थान पर "राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) समिति की कार्यप्रणाली से उत्पन्न होने वाली कोई शिकायत प्रभावित बालक द्वारा या बालक से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकेगी जो कि समुचित आदेश पारित करके तीस दिन की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करेगा|"|

16. मूल नियमों के नियम 21 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"21. बाल देखरेख संस्थानों के पंजीकरण का तरीका

(1) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए संस्थागत देखरेख सेवाओं का संचालन करने वाली सभी संस्थाओं, चाहे वे सरकार द्वारा संचालित हो या स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलाई जा रही हों, को तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियम के अधीन पंजीकरण या अनुज्ञप्ति प्राप्त हो का ध्यान दिए बिना अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन पंजीकृत किया जाएगा।

(2) ऐसी सभी संस्थाएं अपने नियमों, उप-नियमों, संज्ञम-ज्ञापन, शासकीय निकाय की सूची, पदाधिकारियों, न्यासियों की सूची, पिछले तीन वर्षों का तुलन पत्र, संस्था द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई सामाजिक या जन सेवा के पिछले रिकॉर्ड के विवरण और व्यक्ति या संगठन से यह घोषणा कि उनका कोई पूर्व दोषसिद्ध का रिकॉर्ड नही है या वे किसी अनैतिक कार्य या बाल दुर्व्यवहार के कार्य या बाल श्रम के रोजगार में शामिल नहीं रहे हैं या उन्हें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है, की प्रति सहित प्ररुप 27 में आवेदन करेंगे;

(3) राज्य सरकार पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, प्ररुप 46 क में जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशें मंगवाने के लिए आवेदन की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन भेजेंगे।

(4) जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर जिले में आवश्यकता की तुलना में प्राप्त होने वाले अनुरोधों की जांच कर सकेगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट बाल देखरेख संस्था और अभिकरण या संस्था को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता, पृष्ठभूमि और पिछले रिकोर्ड की जांच करेगा और विचार हेतु राज्य सरकार को विशिष्ट सिफारिशें करेगा।

(6) सिफारिशें करते समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा :-

(i) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन संगठन का पंजीकरण;

(ii) भौतिक अवसंरचना, जल तथा बिजली सुविधाएं, स्वच्छता और साफ-सफाई मनोरंजन सुविधाओं और पोषण योजना का ब्यौरा;

(iii) विगत तीन वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित विवरण सहित संगठन की वित्तीय स्थिति और दस्तावेजों का रखरखाव;

(iv) संस्था या मुक्त आश्रय के संचालन के लिए शासकीय निकाय का संकल्प;

(v) नए आवदेकों के मामले में बच्चों के लिए सेवाएं जैसे कि चिकित्सकीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक, परामर्श तथा इसी प्रकार की अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यवाही योजना;

(vi) संरक्षा, सुरक्षा और परिवहन और दिव्यांग बच्चों की सहायता और पहुंच की व्यवस्था;

(vii) संगठन द्वारा चलाए जा रहे अन्य सहायता सेवाओं का ब्यौरा;

(viii)नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के अधीन यथा-विहीत ऐसे क्षेत्र पड़ोसी सीमा के भीतर किसी विद्यालय के पास की संस्था;

(ix) बालकों को आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने पर अन्य सरकारी, गैर-सरकारी, निगम तथा अन्य समुदाय आधारित अभिकरणों के साथ सहलग्न और नेटवर्किंग का ब्यौरा;

(x) मौजूदा कर्मचारियों का उनकी अर्हता तथा अनुभव सहित ब्यौरा;

(xi) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन पंजीकृत तथा उपलब्ध निधियां यदि कोई है, का ब्यौरा;

(xii) व्यक्ति या संगठन की ओर से यह घोषण कि उनका कोई पिछला दोषसिद्धि का रिकॉर्ड नहीं रहा है या वे किसी अनैतिक कार्य या बाल दुरूपयोग के किसी कार्य या बाल श्रम के नियोजन में शामिल नहीं रहे हैं;

(xiii)राज्य सरकार द्वारा यथा-विहित कोई अन्य मानदंड;

(xiv)सिफारिश करते समय, जिला मजिस्ट्रेट वर्तमान संस्थाओं के कब्जा स्तरों तथा अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्राधिकरणों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त संस्थाओं की वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन करेगा ताकि वे अधिनियम के अधीन उपबंधों के साथ बाल देखरेख संस्थाओं के अनुपालन को सुनिश्चित कर सके;

(xv) इस संबंध में प्रमाण कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों और नियमों का अनुपालन कर लिया गया है।

(7) राज्य सरकार, अधिनियम और नियमों के अनुसार बालकों की देखरेख और संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और आवास सुविधाओं, रोजगार सुविधाओं और पुनर्वास के लिए संस्थान में मौजूद प्रावधानों का सत्यापन करने के पश्चात् तथा जिले की मांगों और आवेदक संस्थान के बारे में जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त सिफारिश की जांच करने के पश्चात् प्ररुप 28 में अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (1) के अधीन ऐसे संस्थान को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी।

(8) राज्य सरकार, पंजीकरण के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय, निम्नलिखित पर विचार करेगी, अर्थात:-

(i) जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशें;

(ii) इस बात की पुष्टि करेगी कि सभी पात्रता शर्तों को अधिनियम के अनुसार पूरा कर लिया गया है;

(iii) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा यथा-विहित किसी अन्य मानदंड का पालन कर लिया गया है।

(9) राज्य सरकार, पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले संस्थान में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न होने की स्थिति में अंतरिम पंजीकरण की अनुमति नहीं देगी और राज्य सरकार आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास की समाप्ति के पूर्व यह आदेश जारी करेगा कि संस्था, अंतरित पंजीकरण का भी हकदार नहीं है।

(10) जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम के अधीन पंजीकृत जिले के सभी संस्थानों का विस्तृत वार्षिक निरीक्षण करेगा और ऐसा निरीक्षण प्ररुप 46 के अधीन यथा उपबंधित फॉर्मेट में दिया जाएगा।

(11) यदि निरीक्षण और वार्षिक समीक्षा से यह पता चलता है कि अधिनियम और नियमों के अधीन यथा अधिकथित देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास और एकीकरण सेवाओं तथा संस्थान के प्रबंधन के मानकों का अनुपालन संतोषजनक रूप से नहीं हुआ है या फिर सुविधाएं पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार किसी भी समय संस्था के प्रबंधन को नोटिस जारी करेगी और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात यथास्थिति विस्तृत निरीक्षण या वार्षिक समीक्षा की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर यह घोषणा करेगी कि संस्था या संगठन का पंजीकरण नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से वापस ले लिया जाएगा या रद्द हो जाएगा और उक्त तारीख से संस्था को अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (1) के अधीन पंजीकृत संस्था नहीं रहेगी।

(12) यदि कोई संस्था अधिनियम के अधीन पंजीकृत संस्था नहीं रहता है या वह उक्त उपबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहा है या उसे अंतरिम पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है तो उक्त संस्था का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा या उसमें रखे गए बालकों को बोर्ड या समिति के आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (1) के अधीन पंजीकृत किसी अन्य संस्था में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(13) सभी संस्थाएं पंजीकरण की अवधि के समाप्त होने से तीन माह पूर्व पंजीकरण के नवीकरण की अपेक्षा करने के लिए बाध्य होंगी और संस्था के पंजीकरण की अवधि की समाप्ति से पूर्व पंजीकरण के नवीकरण की अपेक्षा करने में उनकी असफलता के मामले में संस्था अधिनियम की धारा 41 की उप धारा (1) के अधीन पंजीकृत संस्था नहीं रहेगा और इस नियम के उप-नियम (8) के उपबंध लागू होंगे।

(14) किसी संस्था के पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन का निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा ।

(15) पंजीकरण के नवीकरण पर विनिश्चय नवीकरण की अपेक्षा वाले वर्ष में प्ररुप 46 क के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण पर आधारित होगा ।

(16) केंद्रीय सरकार, आवेदन की प्राप्ति और प्रक्रिया या पंजीकरण देने या उसके रद्द करने के लिए माडल आनलाइन प्रणाली विकसित करने को सुकर बनाएगी और इस बीच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूद प्रणालियां जारी रहेगी।"।

17. मूल नियमों के नियम 21 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"21 क समूह पालक देखरेख के पंजीकरण का तरीका :-

(1) प्रत्येक समूह पालक देखरेख को इन नियमों के अधीन यथाविहित तरीके से अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जाएगा।

(2) ऐसे सभी पालक परिवार जो समूह पालक देखरेख के अधीन बालकों की देखरेख करने के इच्छुक हैं, राज्य सरकार को आवेदन करेंगे। आवेदन के समय, पालक परिवार किसी भी पिछले दोषसिद्धि रिकॉर्ड या किसी अनैतिक कार्य में शामिल होने या बाल शोषण या बाल दुर्व्यहार के किसी कार्य में शामिल होने या इसे राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाले जाने के संबंध में भी प्ररुप 50 के अधीन घोषणा करेगा।

(3) समुचित सरकार, तब पालक परिवार के घोषणा पत्र का सत्यापन करेगी और यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है, तो पालक परिवार दांडिक कार्रवाई और तत्काल अनर्हता के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) समूह पालक देखरेख के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर, आवेदन को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को समूह पालक देखरेख का निरीक्षण करने और अपनी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से सिफारिश की मांग प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर निरीक्षण करेगा और प्ररुप 47 के अनुसार अपनी सिफारिश भेजेगा।

(6) जिला मजिस्ट्रेट समूह पालक देखरेख के पंजीकरण के लिए अपनी सिफारिशें करते समय यह जांच करेगा कि समूह पालक देखरेख में निम्नलिखित सुविधाएं हैं, अर्थात्: -

(क) पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आश्रय तथा शिक्षा प्रदान करना;

(ख) बच्चे के समग्र शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखरेख, सहायता और उपचार प्रदान करना;

(ग) शोषण, दुर्व्यवहार, नुकसान, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(घ) मनोरंजन, खेल, संगीत, नृत्य, नाटक, कला, और इसी तरह की पाठ्येतर गतिविधियों के लिए आयु उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करना;

(ड.) बालक के हितों के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना;

(च) व्यक्तियों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन;

(छ) पिछले तीन वर्षों के लिए व्यक्तियों की आयकर विवरणी;

(7) जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर विचार करने और यह सत्यापित करने के पश्चात् कि बालकों की देखरेख और सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और आवास की सुविधा, व्यावसायिक सुविधाओं के लिए प्रावधान मौजूद हैं, राज्य सरकार प्ररुप 48 में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी।

(8) जिला मजिस्ट्रेट संस्था के पंजीकरण के पश्चात् प्ररुप 47 में वार्षिक समीक्षा हेतु विस्तृत निरीक्षण करेंगे।

(9) अधिनियम की धारा 44 के अधीन अनिवार्य रूप से, बाल कल्याण समिति प्ररुप 47 के अनुसार समूह पालक देखरेख का मासिक निरीक्षण करेगी।

(10) सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, निरीक्षण समितियों और बाल कल्याण समितियों की निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ साझा की जाएगी।

(11) जहां कहीं जिला मजिस्ट्रेट या निरीक्षण समितियां या बाल कल्याण समिति समूह पोषण देखरेख को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करती हुई पाती है, वहां जिला मजिस्ट्रेट या समिति सुविधा के पंजीकरण को रद्द करने की राज्य सरकार को सिफारिश करेगी और निम्नलिखित सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए बालकों को सुविधा से तत्काल स्थानांतरित करेगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, पंजीकरण कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए रद्द होगा।"।

18. मूल नियमों के नियम 23 में, -

(i) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) बालकों को पोषण देखरेख में रखते समय, राज्य सरकार वरीयता क्रम में निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी, अर्थात्: -

(i) बालक को एक समान सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रखा गया है;

(ii) पहली वरीयता बालक के विस्तारित परिवार को दी जाएगी, जिसमें बालक के जैविक या दत्तक माता-पिता सम्मिलित नहीं हैं;

परंतु परिवार का कोई भी तत्काल या विस्तारित सदस्य बालक पर दुर्व्यवहार का कथित आरोपी/अपराधी न हो।

(iii) दूसरी वरीयता बालक के ज्ञात गैर-रिश्तेदार परिवार को दी जाएगी।

(iv) गैर-रिश्तेदार पोषण परिवार को तीसरी वरीयता दी जाएगी।

(v) समूह पोषण देखरेख को चौथी वरीयता दी जाएगी।";

(ii) उप-नियम (3) में, "समिति द्वारा लिए जाएंगे" शब्दों के स्थान पर, "समिति द्वारा तीन महीने की अवधि के भीतर लिए जाएंगे" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (9) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात :-

"(9क) जिला बाल संरक्षण इकाई निर्देश के दिन से तीस दिन के भीतर समिति को भावी पोषण देखरेख परिवार का गृह अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।";

(iv) उप-नियम (11) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(11) किसी भी दिए गए समय में पोषण देखरेख के अधीन रखे गए बालकों की संख्या पोषण परिवार के जैविक बालकों छोड़कर दो बच्चों (भाई-बहन के सिवाय) से अधिक नहीं होगी और समूह पोषण देखरेख के अधीन बालकों की संख्या पोषण देखरेख से जैविक बच्चों सहित आठ बच्चों से अधिक नहीं होगी|";

(v) उप-नियम (13) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात :-

"(13) जिला बाल संरक्षण इकाई, जब समूह पोषण देखरेख तय करने का चयन कर रही हो, निम्नलिखित दृष्टांत रूप मानदंडों पर विचार करेगी, अर्थात् :-

(i) समूह पोषक देखरेख सेटिंग इन नियमों के नियम 21क के अधीन पंजीकृत होगी और समूह पोषण देखरेख सेटिंग का निरीक्षण इन नियमों के अधीन अधिकथित उपबंधों के अनुसार संचालित होगा;

(ii) इन नियमों के नियम 21क के अधीन पंजीकृत समूह पोषण देखरेख सेटिंग, अधिनियम और इन नियमों के अधीन दिए गये मानदंडों और मानकों का पालन करेंगे तथा इन नियमों के अधीन अधिकथित मानदंड और मानक समूह पोषण देखरेख में रखे गए बालकों के अनुसार लागू हांगे, जो पोषण देखरेख करने वाले व्यक्तियों के जैविक बालकों सहित अधिकतम आठ बालकों की संख्या होगी;

(iii) बाल संरक्षण नीति का अस्तित्व;

(iv) बालकों के लिए पर्याप्त स्थान और उचित सुख सुविधाएं;

(v) आठ बालकों से अधिक आवासन की कोई सुविधा जिसके अंतर्गत समूह पालन पोषण देखरेख में जैविक बालक भी हैं बाल देखरेख संस्था के रूप में पंजीकृत की जाएगी;

(vi) परिसरों में निवास कर रहे समूह पालन पोषण देखभालकर्ता के सभी सदस्यों की चिकित्सीय रिपोर्ट जिसके अंतर्गत ह्युमन इम्युनो डेफिशिएंसी वॉयरस, क्षयरोग और हेपेटाइटिस बी आदि के लिए रिपोर्ट भी है, यह अवधारण करने के लिए कि वे चिकित्सीय रूप से स्वस्थ्य है, प्राप्त की जाएगी।"।

(vi) उप-नियम (14) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(14) केंद्रीय सरकार गैर-संस्थागत देखरेख के लिए मॉडल दिशानिर्देश जारी करेगी जिसमें पालन पोषण देखरेख और समूह पालन पोषण देखरेख शामिल है, जिसके आधार पर पालन पोषण देखरेख और सामूहिक पालन पोषण देखरेख व्यवस्था के चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।"।

(vii) उप-नियम (19) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(20) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख को पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से काली सूची में डाल दिया जाएगा और अधिनियम के अधीन बच्चे को दत्तक लेने के लिए भी पात्र नहीं होगा:

(i) यदि पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में व्यक्तियों को नैतिक नीचता वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, और इस तरह की सजा को पलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा नहीं दी गई है;

(ii) यदि किसी जांच के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज बाल शोषण या मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत को साबित किया गया है।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, एक काली सूची में डाला गया पोषक परिवार या सामूहिक पोषक परिवार पालन पोषण देखरेख के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।"।

19. मूल नियमों के नियम 24 में, -

(i) उप-नियम (1) में खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा; अर्थात :-

"(iii) सामुदायिक और संगठानात्मक प्रायोजन;";

(ii) उप-नियम (1) में खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(vi) सार्वजनिक या निजी संस्थानों, कंपनियों या निगमों के माध्यम से प्रायोजन;

स्पष्टीकरण : इस खंड के उद्देश्य हेतु प्रायोजन को परिवार या रिश्तेदार या संरक्षक को बच्चे को वापस करने के उद्देश्य के लिए परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।";

(iii) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम को रखा जाएगा अर्थात :-

"(2) जिला मजिस्ट्रेट हितधारकों के साथ परामर्श से जिले के लिए प्रायोजकता योजना बनाएगा, सार्वजनिक और निजी योगदानों के माध्यम से संसाधनों का सृजन करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि जिले में संवेदनशील बच्चों को उनकी अपेक्षा के अनुसार आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सहायता प्रदान की जाए।";

(iv) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2क) जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चे के प्रायोजन में रूचि रखने वाले व्यक्तियों या परिवारों या संगठनों का पैनल तैयार करेगा।";

(v) उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियमों को रखा जाएगा, अर्थात;

"(4) जिला बाल संरक्षण इकाई प्ररुप 36 में प्रायोजन के अंतर्गत बच्चे को रखने के लिए समुचित आदेश पारित करने हेतु बोर्ड या समिति या बच्चों के न्यायालय के पैनल को भेजेगी।

(5) जिला बाल संरक्षण इकाई, व्यक्तिगत प्रायोजन के मामले में प्राथमिक रूप से माता द्वारा बालक के नाम से परिचालित किया जाने वाला खाता खोलेगा और धन को जिला बाल संरक्षण इकाई से बच्चे के बैंक खाते में सीधे ही हस्तांतरित कर दिया जाएगा ।

(6) प्रायोजन की अवधि बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार होनी चाहिए जिसमें अठारह वर्ष तक की आयु की अवधि शामिल हो सकेगी और यह बच्चे के पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम तक भी विस्तारित हो सकेगी|"|

(vi) उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) संस्थानों, संगठनों, कंपनियों या निगमों या तो सार्वजनिक या निजी के माध्यम से प्रायोजन की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट के अनुसार होगी।"

20. मूल नियमों के नियम 25 में, -

(i) उप-नियम (1) में "राज्य सरकार तैयार करेगी" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार तैयार करेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात,

"(2क) जिला मजिस्ट्रेट उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृतियों, शिक्षा के लिए ऋण या बाल देखरेख संस्थाओं को छोडने वाले बच्चों के लिए छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए छात्रवृतियों को सुगम बना सकता है और सरकारी स्कीमों या निजी व्यवसायियों के साथ अभिसरण को इस उद्देश्य के लिए खोजा जा सकता है।

(2ख) जिला मजिस्ट्रेट इस शर्त के अधीन कि यह कारबार या उद्योग या अभिकरण बच्चों के अनुरूप हो और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के अधीन अधिदेशित अनुसार बाल संरक्षण नीति के अनुकूल हो स्थानीय कारबार और उद्योग के सहयोग से कैम्पस प्लेसमेंट और शिक्षुता समनुदेशन को सुगम बना सकता है।

(2ग) जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करने कि बच्चों का हित किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो के लिए पुलिस और अन्य हितधारकों की मदद से इन व्यवस्थाओं पर निगरानी रख सकेगा।"।

21. मूल नियमों के नियम 27 में, –

(i) उप-नियम (8) में, "बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल न्यायालय और विशेष किशोर पुलिस इकाई को भेजी जाएगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (9) में, "बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल न्यायालय और विशेष किशोर पुलिस इकाई और राज्य बाल सरंक्षण सोसाइटी" शब्दों को रखा जाएगा;"

(iii) उप-नियम (10) में, "(viii) सामूहिक पालन पोषण देखरेख" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

22. मूल नियम के नियम 28 में, -

(i) उप-नियम (5) में, "बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी" शब्दों के लिए "जिला मजिस्ट्रेट, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल न्यायालय तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई को भेजी जाएगी" शब्द रखे जाएंगे।;

(ii) उप-नियम (6) में, "विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को भेजी जाएगी" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट, जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को भेजी जाएगी" शब्द रखे जाएंगे।

23. मूल नियम के नियम 33 के उप-नियम (8) में खंड (IV) के उप खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप- खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ज) बाल देखरेख संस्था में किसी बालक का जन्मदिन|"|

24. मूल नियम के नियम 34 में, -

(i) उप-नियम (3) में, खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(v क) निकटतम सरकारी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की सहायता से प्रत्येक बच्चे की आवधिक चिकित्सा स्वास्थ्य जांच की जाएगी;";

(ii) उप-नियम (3) में, खंड (xii) में "को अर्हता प्राप्त कार्मिकों द्वारा चलाए जा रहे उपयुक्त केंद्रों" शब्दों के पश्चात् "या मंत्रालय या विभाग की किसी सरकारी स्कीम के अंतर्गत चलाए जा रहे केंद्रों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप-नियम (6) में, "जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "मुख्य या जिला चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(6क) राज्य सरकार से जिले में पर्याप्त सुविधाएं न होने की स्थिति में संपर्क कर सकेगी और संबंधित राज्य सरकार सभी ऐसे मामलों में आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी|"|

25. मूल नियम के नियम 35 में, -

(i) उप-नियम (2) में "अनुकूल बनाने में भाग लेंगे" शब्दों के स्थान पर "ऐसे अनुकूल बनाने में अनिवार्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का उपबंध करेंगे" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"स्वास्थ्य मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत राज्य या जिला स्तर पर संबंधित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु किया जाएगा|"|

26. मूल नियम के नियम 37 में, -

(i) उप-नियम (4) में, "तिमाही आधार पर" शब्दों के पश्चात् "जिला मजिस्ट्रेट को" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) जिला मजिस्ट्रेट बालकों के कौशल और रोजगार प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार के विद्यमान कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित कर सकेगा|

(6) बाल देखरेख संस्थान या गैर-संस्थागत देखरेख में रहने वाले प्रत्येक 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के बालक को कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण का विकल्प दिया जा सकता है|"|

27. मूल नियम के नियम 39 में, उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6क) जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रबंधन समितियों की सिफारिशें तथा जिले में सभी बाल देखरेख संस्थाओं से सुझाव पेटी से मासिक आधार पर बालकों से प्राप्त होने वाले सुझावों, इस पर की गई कार्यवाई का संकलन करेगी तथा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी |"|

28. मूल नियम के नियम 41 में, -

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) राज्य सरकार राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति और जिला मजिस्ट्रेट जिला स्तरीय निरीक्षण समितियों का गठन करेंगे।";

(ii) उप-नियम (6) में, "इसे उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी" शब्दों के स्थान पर, "इसे उपयुक्त कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट और राज्य बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्निलखित उप-नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6क) राज्य निरीक्षण समिति की निरीक्षण रिपोर्ट को दौरे के दो सप्ताह की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा|";

(iv) उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7क) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक माह के भीतर उपर्युक्त कार्यवाही की जाएगी और इसकी अनुपालन रिपोर्ट को दो माह की अवधि में राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा|";

(v) उप-नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(8) जिला निरीक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होगें, अर्थात्:-

(i) अपर जिला मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष;

(ii) बोर्ड या समिति का सदस्य;

(iii) जिला बाल संरक्षण अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में;

(iv) जिले के मुख्य अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा मनोनीत एक चिकित्सा अधिकारी;

(v) बाल अधिकारों, देखरेख, संरक्षण और कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसाइटी का एक सदस्य जो किसी बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन या संगठन का भाग न हो या किसी बाल देखरेख संस्था के संगठन में उसका कोई हित न हो

(vi) एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिसे बच्चों के साथ काम करने का अनुभव हो; तथा

(vii) समाज से प्रतिष्ठित कोई अन्य व्यक्ति जिसका हितों का टकराव न हो, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त समझा जाए|"

(vi) उप-नियम (11) में, "जिला बाल संरक्षण इकाई" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे;

(vii) उप-नियम (13) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(13) जिला मजिस्ट्रेट जिला निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और समयबद्ध तरीके से सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करेंगे।"

(viii) उप-नियम (13) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(14) जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को, जिला में कार्य कर रही बाल देखरेख संस्थाओं और उनके सुधार के लिए किए गए उपायों पर एक रिपोर्ट वर्ष में एक बार प्रस्तुत करेगा|"|

29. मूल नियम के नियम 43 में,-

(i) उप-नियम (1) में, "बाल देखरेख समिति दत्तक विनियमों में उपलब्ध प्ररुपों में" शब्दों के पश्चात् "मासिक आधार पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-नियम (1) में दी जाने वाली जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को प्ररुप 16 क में उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति द्वारा प्ररुप 16 क में प्रस्तुत रिपोर्ट के पुनरावलोकन के पश्चात्, दत्तक के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित बालकों को दत्तक लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक उपाय करेगा|"|

30. मूल नियम के नियम 44 के उप नियम (1) में, -

(i) खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) प्रत्येक बालक जिसे देश में दत्तकग्रहण या अंतर-देश में दत्तकग्रहण के लिए परिवार नहीं मिलता है और उसे दत्तकग्रहण के लिए कठिन श्रेणी के तहत रखा जाता है, जिला बाल संरक्षण इकाई या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी या समिति द्वारा सिफारिश पर पालक देखरेख में रखा जाने का पात्र होगा।";

(ii) खंड (iii) और (iv) का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (v) में,-

(क) "न्यूनतम पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "न्यूनतम दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में पंजीकरण होने के बाद" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकरण के पोर्टल में पंजीकरण के बाद" शब्द रखे जाएंगे।

31. मूल नियम के नियम 45 में,-

(i) "न्यायालय से पूर्व प्रक्रिया", पार्श्व शीर्ष के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व प्रक्रिया" पार्श्व शीर्ष को रखा जाएगा;

(ii) उप-नियम (1), के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट (जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत) से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, दत्तक विनियम में यथाउपबंधित प्रक्रिया होगी।";

(iii) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) जिला मजिस्ट्रेट, दत्तक के आदेश हेतु आवेदन के उद्देश्य के लिए, अधिनियम और दत्तक ग्रहण विनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।";

(iv) उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) न्यायालय के समक्ष लंबित दत्तक-ग्रहण मामलों से संबंधित सभी मामले इन नियमों के लागू होने की तिथि से जिला मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित माने जाएंगे।"|

32. मूल नियम के नियम 46 में, -

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट (जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत), जैसा भी मामला हो, जैसा कि अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (2) के अधीन यथाउपबंधित है, आवेदन दाखिल करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर दत्तक के आदेश के लिए एक आवेदन का निपटान करेगा।";

(ii) उप-नियम (2) में, "कोई सूचना अथवा न्यायालय आदेश को" के स्थान पर, "जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी कोई सूचना या दत्तक ग्रहण आदेश" शब्द रखे जाएंगे।

33. मूल नियम के नियम 49 के उप-नियम (1) में,-

(i) खंड (vii) में, "राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों" शब्दों के पश्चात्, "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ii) खंड (viii) में, "राज्य सरकारों तथा राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकारें, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों और जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) खंड (ix) में, उप-खंड (ख) में, "तथा बाल देखभाल संस्थान" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iv) खंड (xi) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(xi) दत्तक के उद्देश्य के लिए बालकों और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित एक व्यापक केंद्रीकृत डेटाबेस और पोर्टल बनाए रखें;"।

34. मूल नियम के नियम 50 में, -

(i) उप-नियम (4) में, उप-खंड (ii) में, "बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली" शब्दों के स्थान पर, "दत्तक के उद्देश्य से बच्चों और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित केंद्रीकृत डेटाबेस और पोर्टल", शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (8) में, "राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से" शब्दों के स्थान पर, "विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग से" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-नियम (15) में, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "प्रति बैठक रु. 1,000/- बैठक शुल्क," के स्थान पर "प्रति बैठक दो हजार रुपए से कम न हो बैठक शुल्क" रखे जाएंगे।

35. मूल नियम के नियम 51 के उप-नियम (2) में, **"**संचालन समिति के कार्य का संव्यवहार अत्यावश्यकता के मामले में परिषद द्वारा**"** शब्दों के पश्चात् **"**या वेब के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

36. मूल नियम के नियम 54 –

(i) उप-नियम (1) में, "चाइल्डलाइन सेवाओं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(5क) राज्य सरकार समिति या बोर्ड की सिफारिशों पर, जैसा भी मामला हो, उचित कार्रवाई करेगी।

(5ख) जिला बाल संरक्षण इकाई राज्य सरकार को सूचित करते हुए यथाशीघ्र बच्चों का स्थानान्तरण सुनिश्चित करेगी।"|

37. मूल नियम के नियम 55 के उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की सुसंगत धाराएं या तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि, अधिनियम की धारा 75 के अधीन किए गए अपराधों के लिए लागू होंगी।"।

38. मूल नियमों के नियम 55 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"55 क – अधिनियम की धारा 76 के अधीन अपराध के मामले की प्रक्रिया -

(1) जब भी किसी बच्चे को नियोजित करने या भीख माँगने के उद्देश्य से उपयोग किया पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा तत्काल अन्वेषण किया जाएगा और जहाँ अधिनियम की धारा 76 के अधीन अपराध किया गया हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल पंजीकृत की जाएगी।

(2) यदि माता-पिता ने अपने बच्चों को भीख मांगने में लगाया है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने से पहले अधिनियम की धारा 76 के अधीन अन्वेषण किया जाएगा।

(3) यदि भीख मांगने में लगा हुआ बच्चा दुर्व्यापार का शिकार पाया जाता है, जो एक संज्ञेय अपराध है तो अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) और धारा 370 भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के उपबंध भी लागू होंगे।

(4) यदि भीख मांगने वाला बच्चा बाल श्रम का शिकार पाया जाता है जो संज्ञेय अपराध हैं, तो इस मामले में बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) अधिनियम के उपबंध भी लागू होंगे।

(5) यदि भीख मांगने में लिप्त बच्चे का भी भीख मांगने के उद्देश्य से अपहरण किया गया पाया जाता है, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 359 से 369 के अधीन एक संज्ञेय अपराध है, इस मामले में भी लागू होगा।"।

39. मूल नियम के नियम 57 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"57 क- अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत अपराध के मामले में प्रक्रिया :-

(1) यदि कोई बच्चा बाल श्रम के रूप में रोजगार में लाया गया पाया जाता है तो इन मामलों में पुलिस द्वारा तुरन्त अन्वेषण किया जाएगा और यदि अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत कोई अपराध होता है तो इस मामले में तुरंत ही प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर की जाएगी।

(2) यदि कोई बालक बाल श्रम का पीड़ित पाया जाता है तो बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61), जो कि एक संज्ञेय अपराध है, के उपबंध भी लागू होंगे।

(3) यदि बाल श्रम के रूप में संलग्न कोई बच्चा मानव दुर्व्यापार का पीड़ित पाया जाता है तो इस मामले में अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 और भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 370 जो कि संज्ञेय अपराध है, के उपबंध भी लागू होंगे।"|

40. मूल नियम के नियम 59 में :-

(i) उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5 क) समिति जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष इन बच्चों और इनके पुनर्वास के संबंध में की गई कार्यकारी से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। जिला मजिस्ट्रेट सात दिन के भीतर किसी सुरक्षित स्थान पर बच्चों को स्थानांतरित करने तथा संस्थान को बंद करने में संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा तथा राज्य सरकार को अभिकरण के पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश करेगा।";

(ii) उप-नियम (6) में,

(क) "समिति राज्य सरकार से अनुशंसा करेगी" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से अनुशंसा करेगा" शब्द रखा जाएगा;

(ख) "भी वापस लिया जाएगा" शब्दों के पश्चात्, "और राज्य सरकार पन्द्रह दिन के भीतर समुचित कार्यवाही करेगी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) बेचे गए और मानव दुर्व्यापार किए गए बच्चे के मामले में, अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (1956 का 104) तथा भारतीय दंड संहिता 1960 (1860 का 45) की धारा 370 के उपबंध भी लागू होंगे।"।

41. मूल नियम के नियम 60 के उप-नियम (9) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे।

42. मूल नियम के नियम 61 में, उप-नियम (3) के खंड (xxxii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(xxxiii) प्रतिदिन बच्चों के सुझाव या शिकायत पुस्तिका की जाँच करें और तत्काल शिकायतों के बारे में जिला बाल संरक्षण इकाई और समिति या बोर्ड को सूचित करें।

(xxxiv) बच्चों के सुझाव या शिकायत पुस्तिका में प्राप्त शिकायतों और उस पर की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड रखें"।

43. मूल नियम के नियम 68 के उप-नियम (2) के खंड (v) में "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात्, "या जिला मजिस्ट्रेट" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

44. मूल नियम 69 में उप-शीर्ष ट, के अधीन उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाएगा और बाल देखरेख संस्था बच्चों को प्रोत्साहित और उन्हें शिक्षा, खेल और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल कर सकती है।"।

45. मूल नियम के नियम 73 के उप-नियम (3) के खण्ड (xxi) में "सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, समिति का आदेश, योजनाओं से जुड़ाव" प्रारम्भ में शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

46. मूल नियम के नियम 75 में, उप-नियम (1) में, -

(i) खंड (ii) में, "बोर्ड या समिति" शब्दों के पश्चात्, "और जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जैसा भी मामला हो" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (iii) में, "बोर्ड या समिति" शब्दों के पश्चात् "और जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जैसा भी मामला हो" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (iv) में, "पुलिस" शब्द के पश्चात् "और जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जैसा भी मामला हो" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

47. मूल नियम के नियम 76 में, उप-नियम (2) के खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ii क) यौन शोषण का मामला रजिस्टर होने की स्थिति में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 19 के अधीन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा";

48. मूल नियम के नियम 77 के उप-नियम (1) में तालिका में क्रमांक 6 के सम्मुख कालम (2) में "बच्चों की सुझाव पुस्तिका" प्रविष्टि को "बच्चों का सुझाव या शिकायत पुस्तिका" प्रविष्टि से अंत:स्थापित किया जाएगा।

49. मूल नियम के नियम 79 में,-

(i) उप-नियम (8) में, "बालिका" शब्द का लोप किया जाएगा, और "जहां किसी बालक" शब्दों के बाद, "जो अठारह वर्ष से कम आयु का है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ii) उप-नियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(9) जहां अठारह वर्ष से अधिक उम्र की बलिका को बाल देखरेख संस्थान से रिहा कर दिया गया है और उसके पास रहने लिए कोई जगह नहीं है, उसे तब तक कामकाजी महिला छात्रावास या ऐसी अन्य सरकारी सुविधाओं में आवास प्रदान किया जाएगा, जब तक कि उसके द्वारा रहने के लिए कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर ली जाती है।"

50. मूल नियम के नियम 81 में, -

(i) पार्श्व शीर्ष में, "बालक का स्थानांतरण" शब्दों के स्थान पर, "बालक का स्थानांतरण या पुन: वापसी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (5) के स्थान लिए निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) यदि बालक किसी अन्य देश का नागरिक है तो बालक को बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर बोर्ड या समिति जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेगी और जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के समुचित विभाग के माध्यम से और यथास्थिति गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के परामर्श से शीघ्रातिशीघ्र बच्चे की वापसी की प्रक्रिया को शुरू करेगा।";

(iii) उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(5क) जिला मजिस्ट्रेट पुन: वापसी किए जाने वाले बालकों की एक सूची तैयार करेगा और प्रोटोकॉल के अनुसार इसे निगरानी प्राधिकरण (यथास्थिति राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग) को भेजेगा।

(5ख) निगरानी प्राधिकरण बालक की पुन:वापसी करवाने के लिए संबंधित सरकार या निजी अभिकरणों के साथ मामले को उठाएगा।

(5ग) इसके पश्चात् निगरानी प्राधिकरण, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को पुन:वापसी किए जाने वाले बच्चों की प्रास्थिति रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करेगा।"।

51. मूल नियम के नियम 82 के स्थान पर, निम्नलिखित नियमों को रखा जाएगा, अर्थात :-

"82क - विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए पुन:वापसी और अनुवर्तन :-

(1) बोर्ड या बाल न्यायालय, बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक की सुनवाई करने के पश्चात् और माता-पिता या संरक्षक का दावा करने वाले व्यक्तियों की पहचान के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् बाल देखरेख संस्थान में रखे गए बालक को छोड़ने के लिए प्ररुप 44 में आदेश दे सकेगा।

(2) बालक की पुन:वापसी के लिए आदेश देते समय, बोर्ड या बाल न्यायालय, उपर्युक्त मामलों में बोर्ड या बाल न्यायालय के निर्देश पर तैयार की गई गृह अध्ययन रिपोर्ट सहित जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर-सरकारी संगठन के कर्मचारी या नामनिर्दिष्ट अधिकारी, परीवीक्षा अधिकारी की रिपोर्टों और बोर्ड या बाल न्यायालय के समक्ष लाए गए किसी संबंधित दस्तावेज यह रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा।

(3) यदि कोई बालक अपने परिवार के पास वापस जाने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है तो बोर्ड या बाल न्यायालय इसके कारणों का पता लगाने के लिए बालक के साथ बातचीत करेगा और इसे रिकार्ड करेगा तथा बालक को उसके परिवार के पास वापस जाने के लिए ना तो बाध्य किया जाएगा और ना ही मनाया जाएगा।

(4) बालक को उसके परिवार के पास तब भी वापस नहीं भेजा जाएगा जब बालक के माता-पिता या संरक्षक उस बालक को वापस स्वीकार करने का इन्कार कर देते हैं और इस प्रकार के सभी मामलों में, बोर्ड या बाल न्यायालय पुनर्वास के लिए वैकल्पित साधन प्रदान करेगा।

(5) इसके अतिरिक्त, बालक को उसके परिवार के पास वापस नहीं भेजा जाएगा। यदि परीवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई के नामनिर्दिष्ट अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या गैर-सरकारी संगठन द्वारा तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट यह स्थापित करती है कि बालक को उसके परिवार के पास वापस भेजा जाना बालक के हित में नहीं होगा।

(6) पुन:वापसी के आदेश में परीवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर-सरकारी संगठन के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा तैयार की गई व्यक्तिगत देखभाल योजना भी शामिल होगी।

(7) बोर्ड या बाल न्यायालय, बालक की पुन:वापसी का निदेश देते समय, जहां आवश्यक हो, प्ररुप 45 में एस्कॉर्ट के लिए आदेश जारी कर सकता है।

(8) पुलिस के अतिरिक्त, बोर्ड बालक को उसके परिवार से पुन: मिलाने के लिए जिला बाल सुरक्षा इकाई से सहयोग मांग सकता है।

(9) बालिकाओं के मामले में, बालिका के साथ महिला सहायक भी अनिवार्य रूप से जाएगी।

(10) महिला सहायक के लिए आदेश की प्रति सहित पुन:वापसी के आदेश की प्रति को बोर्ड पर बाल न्यायालय द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी जो यात्रा तथा अन्य आकस्मिक व्यय सहित बालक की पुन: वापसी के लिए निधियां प्रदान करेगी।

(11) बाल कल्याण अधिकारी या मामले पर काम करने वाला कर्मचारी या सामाजिक कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन द्वारा व्यक्तिगत देखभाल योजना के भाग के रूप में एक अनुवर्तन योजना तैयार की जाएगी।

(12) इस अनुवर्तन रिपोर्ट में पुन:वापसी के बाद बालक की प्रास्थिति और बालक की संवेदनशीलता को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का उल्लेख किया जाएगा।

82ख - देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए पुनर्वापसी और अनुवर्तन :-

(1) समिति बालक और उसके माता-पिता या संरक्षक की सुनवाई करने और माता-पिता या संरक्षक का दावा करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् बाल देखरेख संस्थान में रखे गए बच्चे को छोड़ने के लिए प्ररुप 44 में आदेश दे सकेगी।

(2) बालक की पुन:वापसी के लिए आदेश देते समय, समिति उपर्युक्त मामलों में समिति के निदेश पर तैयार की गई गृह अध्ययन रिपोर्ट सहित सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या मामले पर काम करने वाला कर्मचारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर-सरकारी संगठन का नामनिर्दिष्ट अधिकारी की रिपोर्ट और समिति के समक्ष लाए जाने वाले किसी अन्य दस्तावेज या रिपोर्ट को ध्यान में रखेगी।

(3) यदि कोई बालक अपने परिवार के पास वापस जाने में अपनी अनिच्छुक्कता व्यक्त करता है तो समिति इसके कारणों का पता लगाने के लिए बालक के साथ बातीचीत करेगी और इस बातचीत को रिकार्ड करेगी और बालक को उसके परिवार के पास वापस जाने के लिए ना तो विवश किया जाएगा और ना ही मनाया जाएगा।

(4) यदि कोई बालक परिवार में वापस जाने से इनकार करता है या परिवार वित्तीय बाधाओं के कारण बालक को वापस लेने से इनकार करता है तो जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 45 के अधीन बच्चे के सर्वोत्तम हित में परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अधिनियम की धारा 105 के अधीन किशोर न्याय निधि, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि या कोई अन्य योजना सहित प्रायोजन के सभी केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं को प्रदान करने की सभी संभावनाओं का पता लगाएगा।

स्पष्टीकरण : इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, परिवार की वित्तीय क्षमता का पता किसी भी आय दस्तावेज जैसे पिछले एक वर्ष के बैंक विवरण या पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न या परिवार के संपत्ति पंजीकरण या आय प्रमाण पत्र या जो भी उपलब्ध हो के माध्यम से पता लगाया जा सकता है।

(5) बालक को परिवार के पास वापस प्रत्यावर्तित भी नहीं किया जाएगा, जहां माता-पिता या संरक्षक बालक को वापस स्वीकार करने से इंकार कर देते हैं और समिति, ऐसे सभी मामलों में पुनर्वास के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान कर सकेगी।

(6) बालक को परिवार के पास वापस प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा, जहां यथास्थिति, बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन या जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा पदाभिहित अधिकारी या बालक देखरेख संस्था का प्रबंधन द्वारा तैयार की गई अनुसंधान रिपोर्ट यह स्थापित कर देती है कि परिवार को प्रत्यावर्तन बालक के हित में नहीं होगा।

(7) जिला बालक संरक्षण इकाई पात्र बालक के लिए प्रत्यावर्तन और उसके कार्यान्वयन के लिए योजना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जिला मजिस्ट्रेट, बालक के प्रत्यावर्तन को सुकर बनाएगा और जहां कहीं अपेक्षित हो, उसमें हस्तक्षेप करेगा।

(8) प्रत्यावर्तन आदेश में बालक कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन द्वारा तैयार व्यष्टि देखरेख योजना सम्मिलित होगी।

(9) समिति, जहां आवश्यक हो, बालक के प्रत्यावर्तन का निदेश देते समय, प्ररुप 45 में अनुरक्षक के लिए एक आदेश पारित कर सकेगी।

(10) समिति, प्रत्यावर्तन के लिए बालक को परिवार में वापस करते समय पुलिस के अलावा जिला बालक संरक्षण इकाई का सहयोग ले सकेगी।

(11) बालिका की दशा में उसके साथ आवश्यक रूप से महिला अनुरक्षक होगी।

(12) अनुरक्षक के लिए आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावर्तन आदेश की प्रति, जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा अग्रेषित की जाएगी, जो यात्रा और आनुषंगिक व्ययों के साथ बालक के प्रत्यावर्तन के लिए निधियां प्रदान करेगी।

(13) यदि किसी बालक को दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया तो बालक को उसके संरक्षक या रिश्तेदारों, यदि वे समिति द्वारा स्वस्थ पाए जाते हैं तो, के पास वापस भेजे जाने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

(14) जिला मजिस्ट्रेट, सभी केंद्रीय और राज्य प्रायोजिक स्कीमों के अधीन लाभ प्रदान करने के लिए सभी संभावनाओं की खोज करेगा, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 45 के अधीन प्रायोजन और अधिनियम की धारा 105 के अधीन किशोर न्याय निधि भी है।

(15) बालक कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या गैर-सरकारी संगठन द्वारा व्यष्टि देखरेख योजना के भाग के रूप में अनुवर्ती योजना तैयार की जाएगी।

(16) अनुवर्ती रिपोर्ट में प्रत्यावर्तन पश्चात् बालक की स्थिति और बालक की और भेद्यता को कम करने के क्रम में आवश्यक उपाय का कथन होगा।"

52. मूल नियम के नियम 83 के उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) जिला मजिस्ट्रेट, इस नियम के अधीन उल्लिखित किन्हीं क्रियाकलापों के संबंध में जिले में बालकों के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य किशोर न्याय निधि से निधियां मांगने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा।"

53. मूल नियम के नियम 84 के उप-नियम (1) में,-

(i) आरंभिक भाग में, "राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी" शब्दों के पश्चात्, "केवल राज्य सरकार के पदाधिकारियों से मिलकर बनेगी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ii) खंड (iv) में "विभिन्न जिला बाल संरक्षण इकाइयों से प्राप्त" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न जिला मजिस्ट्रेटों से प्राप्त" शब्द रखे जाएंगे।

54. मूल नियम के नियम 84 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"84 क. राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण :-

(1) राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 67 और दत्तकग्रहण के विनियम के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य दत्तकग्रहण और संबंधित मामलों से व्यव्हार करने के लिए राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की स्थापना करेगी।

(2) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के शासी निकाय की अध्यक्षता राज्य सरकार के विभाग के प्रधान सचिव या सचिव द्वारा की जाएगी।

(3) राज्य सरकार के विभाग का दत्तकग्रहण से व्यव्हार करने वाला निदेशक, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण का सदस्य सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।"।

55. मूल नियमों के नियम 85 में,-

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

"जिला मजिस्ट्रेट और जिला बाल संरक्षण इकाई";

(ii) उप-नियम (1) में,-

(क) आरंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

"जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में कार्य करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:";

(ख) खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"(ii क) बोर्ड या समिति के निदेशानुसार प्रत्येक बालक के लिए सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट और व्यष्टि देखरेख योजना बनाना।";

(ग) खंड (xxiii) में, "जिला बाल संरक्षण इकाई" शब्दों के पश्चात् "और जिला मजिस्ट्रेट" अंत:स्थापित किए जाएंगे; अर्थात्: -

(घ) खंड (xxvii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(xxviii) अधिनियम के अधीन सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्य के समनुदेशन के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं का पैनल तैयार करना;

(xxix) यह सुनिश्चित करना कि बालकों के अधिकारों को विद्यालयों, अस्पतालों, सरकारी भवनों और ऐसे अन्य स्थानों जहां अक्सर बालक आते-जाते रहते हैं, प्रदर्शित किए जाते हों|"|

(iii) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिले में नोडल अधिकारी होगा, और इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के पालन करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट को पदाभिहित कर सकेगा।";

(iv) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) जिला मजिस्ट्रेट, जिले में बालकों से संबंधित मुद्दों पर विमर्श के लिए पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित सुसंगत पणधारियों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करेगा।"।

56. मूल नियम के नियम 88 में,-

(i) उप-नियम (6) में, "यथास्थिति, या समिति" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) नियम (14) से (16) का लोप किया जाएगा।

57. मूल नियमों के नियम 89 के उप-नियम (4) में "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात् "या जिला प्रशासन" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

58. मूल नियमों के नियम **91** के उप-नियम (1) में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i क) विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरणों सहित बाल देखरेख संस्थानों का निरीक्षण और प्राधिकारियों द्वारा संचालित किए गए निरीक्षणों के अभिलेख का रखरखाव"।

59. मूल नियमों के नियम 92 में,-

(i) खंड (xi) के उपनियम (4) में, "चाइल्डलाइन सेवाओं" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (7) में, "तैयार" शब्द के स्थान पर, "जारी" शब्द रखा जाएगा।

60. मूल नियमों में, प्ररुप 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररुप **7**

[नियम **11(3), 13(7)(vi), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x)** और **69** झ**(3)]**

व्यष्टि देखरेख योजना

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक

(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

मामला कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी/पर्यवेक्षा अधिकारी का नाम …….

व्यष्टि देखरेख योजना तैयार करने की तारीख ……

20..... का मामला/प्रोफाइल संख्या ……

एफआईआर संख्या …….

धारा के अधीन (अपराध का प्रकार) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामले में लागू ……

पुलिस स्टेशन ……

बोर्ड या समिति का पता ……

भर्ती संख्या (यदि बालक किसी संस्था में है) …..…….……

भर्ती की तारीख (यदि बालक किसी संस्था में है) ……....

बालक का प्रवास (जैसा लागू हो, भरें)

(i)	अल्पकालिक (छह मास तक))	☐
(ii)	मध्यकालिक (छह मास से एक वर्ष तक))	☐
(iii)	दीर्घकालिक अवधि (एक वर्ष से अधिक)	☐

<u>उन बालकों के दोनों प्रवर्गों के लिए, जिन्हें संस्थागत या गैर-संस्थागत देखरेख में रखा जाता है</u>

1. **वैयक्तिक ब्यौरे** (संस्था में बालक की भर्ती पर बालक/माता-पिता/दोनों द्वारा उपलब्ध कराया जाए)

क. बालक का नाम ……

ख. आयु/जन्म की तारीख…….....……

ग. लिंग: पुरुष/स्त्री.....……..……

घ. पिता का नाम ……..……..

ङ. माता का नाम ……..……..

च. राष्ट्रीयता …….....……

छ. धर्म …….....……

ज. जाति …….....……

झ. बोली जाने वाली भाषा…….....……..

2. शिक्षा का स्तर ……..

3. बालक के बचत खाते के ब्यौरे, यदि कोई हो ……..

4. बालक द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों/इनामों के ब्यौरे, यदि कोई हों ……

5. बालक के माल-असबाब के ब्यौरे, यदि कोई हो ……..

6. बालक के माता-पिता की संपत्ति के ब्यौरे, यदि कोई हो -

7. बालक के माता-पिता के बैंक खाते के ब्यौरे, यदि कोई हो -

8. बालक की बीमा पॉलिसी के ब्यौरे, यदि कोई हो -

9 बालक के माता-पिता की बीमा पॉलिसी के ब्यौरे, यदि कोई हो-

10. बालक के माता-पिता की नौकरी प्रतिकर, पेंशन के ब्यौरे, यदि कोई हो-

11. बालक के जमा निक्षेपों, बचत, वित्तीय नीति, म्यूचुअल फंड के ब्यौरे, यदि कोई हो-

12. माता-पिता के ऋण, बंधक, अन्य वित्तीय देयताओं, के ब्यौरे, यदि कोई हो, -

13. विरासत में मिलने वाली संपत्ति के ब्यौरे, यदि कोई हो-

14. क्या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं?- क. हां ख. नहीं

15. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के ब्यौरे -

16. क्या विधिक वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं?- क. हां ख. नहीं

17. विधिक वारिस प्रमाण पत्र के ब्यौरे -

18. क्या बालक अनाथ/अभित्यक्त/अभ्यर्पित है?

19. मामला पूर्ववृत्त, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट और बालक के साथ बातचीत के परिणाम के आधार पर, निम्नलिखित चिंता क्षेत्रों और मध्यक्षेपों के ब्यौरे दें, यदि कोई हों- **(उन बालकों के दोनों प्रवर्गों के लिए है जिन्हें संस्थागत या गैर-संस्थागत में रखा जाता है)**

क्र.सं.	**प्रवर्ग**	**चिंता का क्षेत्र**	**प्रस्तावित मध्यक्षेप**
1	देखरेख और संरक्षण से बालक की प्रत्याशा		
2	स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताएं		
3	भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग आवश्यकताएं		
4	शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताएं		
5	फुर्सत, सृजनात्मक और खेल		
6	आसक्ति और अंतर-वैयक्तिक संबंध		
7	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और गलत बर्ताव से स्वयं देखरेख और संरक्षण के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण		
8	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
9	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव, जैसे दुर्व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक उपेक्षा, विद्यालय में भयभीत होना आदि जिसमें बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो, (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

20. क्या बालक के कोई भाई-बहन हैं? हां/नहीं

21. क्या बालक और उसके भाई/बहन को एक साथ रखा जाता है? क. हां ख. नहीं

22. क्या बालक और उसके भाई या बहन एकल माता-पिता/संरक्षक द्वारा अभ्यर्पित किए जाते हैं? क. हां ख. नहीं ग. लागू नहीं होता

23 भाई या बहन/भाइयों या बहनों का मामला/प्रोफाइल संख्या –

24. **दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले या आवधिक रूप से बीमार बालक की दशा में** (यह, यथास्थिति, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक तथा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, दोनों के लिए ही सुसंगत हो सकेगा)

(i) क्या बालक, जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। हां/नहीं, यदि हां। कृपया दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या .....दर्शित करें।

(ii) क्या ऐसे बालक को चिकित्सा उपस्कर, जैसे हीयरिंग ऐड, बैसाखी आदि प्रदान किए गए हैं। हां/नहीं।यदि हां कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

(iii) क्या बालक को अपनी दिव्यांगता के लिए प्रतिकर/अनुतोष प्रदान किया गया है। हां/नहीं। यदि हां कृपया विनिर्दिष्ट करें .....

(iv) बालक की शैक्षिक अपेक्षाएं.....

(v) बालक की कोई अन्य विशेष आवश्यकताएं.....

(vi) कोई अन्य सिफारिश.....

25. **यदि बालक सड़क पर घूमने वाले हों/उनका दुर्व्यापार किया गया हो/वे ड्रग्स पेडलिंग में सम्मिलित हों/बाल श्रमिक हों** (यह, यथास्थिति, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक तथा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक दोनों के लिए सुसंगत हो सकेगा)।

(i) क्या बालक सड़क पर घूमने वाला बालक है : हां/नहीं।

(ii) क्या बालक बाल दुर्व्यापार का पीड़ित है : हां/नहीं।

(iii) क्या बालक ड्रग्स पेडलिंग में सम्मिलित था : हां/नही।

(iv) क्या बालक बाल श्रम से पीड़ित है : हां/नहीं।

(v) क्या बालक, जो बाल श्रम से पीड़ित था, को बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण निधि या किसी अन्य स्कीम के अधीन प्रतिकर प्रदान किया गया है, कृपया विनिर्दिष्ट करें .....

(vi) क्या बालक, जो दुर्व्यापार/ड्रग्स पेडलिंग/बाल श्रम से पीड़ित है या सड़कों पर घूमने वाला है, को परामर्श दिया गया है? हां/नहीं

(vii) क्या बालक को प्रतिकर प्रदान किया गया है? हां/नहीं, यदि हां तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

26. **यदि बालक लैंगिक दुर्व्यवहार सहित किसी दुर्व्यवहार से पीड़ित है :** (यह, यथास्थिति, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों और देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए सुसंगत हो सकेगा)

(i) क्या बालक को परामर्श दिया गया है?.....

(ii) क्या ऐसे अपराधी/कर्ता के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां तो कृपया विनिर्दिष्ट करें.....

(iii) क्या बालक, जो लैंगिक हमले का पीड़ित है, को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन प्रतिकर स्कीम के अनुसार प्रतिकर प्रदान किया गया है.....

(iv) बालक को दिया गया कोई अन्य प्रतिकर या अनुतोष?.....

(v) कोई अन्य संप्रेक्षण.....

संस्थागत देखरेख में रखे गए बालक के लिए

27. बालक की प्रगति रिपोर्ट (पहले तीन मास के लिए प्रति 14 दिन पर तैयार की जाने वाली और उसके पश्चात प्रत्येक मास में एक बार तैयार की जाने वाली)

[टिप्पण : प्रगति रिपोर्ट के लिए भिन्न-भिन्न शीट का उपयोग करें]

1. परीवीक्षा अधिकारी/मामले पर कार्य करने वाला कर्मचारी/बाल कल्याण अधिकारी का नाम……..

2. रिपोर्ट की अवधि…….

3. दाखिला संख्या…….

4. बोर्ड या समिति……

5. प्रोफाइल संख्या……

6. बच्चे का नाम……..

7. मौखिक परीक्षा का स्थान……..दिनांक……

8. रिपोर्ट की अवधि के दौरान बच्चे का सामान्य आचरण और प्रगति

……..……
……
……

9. इस फार्म के भाग(क) के चिन्ह 19 में वर्णित प्रस्तावित हस्तक्षेपों के संबंध में की गई प्रगति

क्र.सं.	श्रेणी	प्रस्तावित हस्तक्षेप	बच्चे की प्रगति
1.	देखरेख और संरक्षण में बच्चे की आशा		
2.	स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताएं		
3.	आवश्यक भावनात्मक और मनोरंजन सहायता।		
4.	शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताएं		
5.	आराम, सृजनात्मकता और खेल		
6.	लगाव और अन्य वैयक्तिक संबंध		
7.	सभी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से संरक्षण हेतु स्व-देखभाल और जीवन कौशल		
8.	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
9.	कोई अन्य महत्वपूर्ण अनुभव जो बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते है जैसेकि दुर्व्यापार, घरेलू हिंसा, माता-पिता द्वारा उपेक्षा, स्कूल में तंग किया जाना, आदि (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

10. समिति या बोर्ड या बाल न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही :-

11. बंधपत्र की शर्तों का परिवर्तन .....

12. बच्चे के निवास स्थान का परिवर्तन .....

13. अन्य मामले, यदि कोई है……

14. …… को पूरे किए गए पर्यवेक्षण की अवधि

15. टिप्पणियां(यदि कोई है) सहित पर्यवेक्षण का परिणाम…….

16. माता-पिता या संरक्षक या किसी स्वस्थ व्यक्ति, जिसकी देखरेख में बच्चे को पर्यवेक्षण पूरा होने के बाद रहना है, का नाम और पता .....

रिपोर्ट की तारीख……

परीवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर……..

28. पूर्व जारी की गई रिपोर्ट (जारी किए जाने से 15 दिन पूर्व तैयार की जानी है):

1. स्थानांतरण के स्थान तथा स्थानांतरण/जारी किए जाने के स्थान पर उत्तरदायी संबंधित प्राधिकरण का विवरण: ...

2. विभिन्न संस्थानों/परिवार में बच्चे को रखे जाने का विवरण: .....

3. प्राप्त किया गया प्रशिक्षण और हासिल किया गया कौशल: .....

4. बच्चे की अंतिम प्रगति रिपोर्ट(संलग्न की जानी है, भाग(ख) देखें)

5. बच्चे की पुनर्वास और वापसी योजना (बच्चे की प्रगति रिपोर्टों के संदर्भ में तैयार की जानी है)

क्र.सं.	श्रेणी	बच्चे की पुनर्वास और वापसी की योजना
1.	देखरेख और संरक्षण में बच्चे की आशा	
2.	स्वास्थ्य और पोषण	
3.	भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक	
4.	शैक्षिक और प्रशिक्षण	
5.	आराम, सृजनात्मकता और खेल	
6.	लगाव और अन्य वैयक्तिक संबंध	
7.	सभी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से संरक्षण हेतु स्व-देखभाल और जीवन कौशल प्रशिक्षण	
8.	स्वतंत्र आजीविका कौशल	
9.	कोई अन्य	

6. निर्मुक्ति/स्थानांतरण/पुन:वापसी की तारीख…….

7. अनुरक्षक की मांग, यदि अपेक्षित हो तो…….

8. अनुरक्षक की पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि……

9. सम्भाव्य प्लेसमेंट/प्रायोजकता सहित सिफारिश की गई पुनर्वास योजना…

10. पश्चातवर्ती निर्मुक्ति अनुवर्तन के लिए परीवीक्षा अधिकारी/गैर-सरकारी संगठन का विवरण……

11. पश्चातवर्ती निर्मुक्ति अनुवर्तन के लिए चिन्हित गैर-सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन(प्रति संलग्न करें)

12. प्रायोजकता अभिकरण/व्यक्तिगत प्रायोजन, यदि कोई है तो उसका विवरण……

13. प्रायोजक अभिकरण तथा व्यक्तिगत प्रायोजन के बीच समझौता ज्ञापन (प्रति संलग्न)……

14. जारी किए जाने से पूर्व चिकित्सा जांच रिपोर्ट……

15. कोई अन्य सूचना……

29. बच्चे की पश्चातवर्ती निर्मुक्ति/प्रतायावर्तन रिपोर्ट :

1. बैंक खाते की स्थिति : बंद/हस्तांतरित

2. बच्चे की कमाई और सामान : बच्चे या उसके माता पिता/संरक्षक को सौंपी गई – हां/नहीं

3. बच्चे को छोड़े जाने के बाद अनुवर्तन हेतु चिन्हित परीवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/मामले पर कार्य करने वाला कर्मचारी/सामाजिक कार्यकर्ता/गैर-सरकारी संगठन की प्रथम वार्ता रिपोर्ट: .....

4. पुनर्वास और वापसी योजना के संदर्भ में की गई प्रगति ……

5. बच्चे के प्रति परिवार का व्यवहार/रवैया……..

6. बच्चे का सामाजिक स्थान, विशेष रूप में पड़ोसियों/समुदाय का रवैया…….

7. बच्चा अपेक्षित कौशल का उपयोग किस प्रकार कर रहा है……

8. क्या बच्चे को स्कूल या रोजगार में दाखिल कराया गया है? स्कूल/संस्थान/किसी अन्य एजेंसी की तारीख और नाम बताएं? हां/नहीं …….

9. क्रमश: दो माह और छह माह के पश्चात बच्चे के साथ दूसरी और तीसरी बातचीत रिपोर्ट: ……..

10. सामाजिक मुख्यधारा के लिए प्रयास और इसके बारे में बच्चे की राय/विचार…

11. पहचान पत्र और मुआवजा.....

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति(जहां लागू हो निशान लगाएं)		की गई कार्रवाई
	हां	नहीं	
जन्म प्रमाण पत्र			
विद्यालय प्रमाण पत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड			
दिव्यांगता प्रमाण पत्र			
टीकाकरण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से मुआवजा प्राप्त			

[निर्देश: कृपया भौतिक दस्तावेज से जांच लें।]

30. दत्तकग्रहण

(i) क्या बच्चे को दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है?

क. हां ख. नहीं ग. लागू नहीं

(यदि यह लागू नहीं होता है तो इसके बाद के प्रश्न भी लागू नहीं होंगे)

(ii) क्या बच्चे को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या बाल देखरेख संस्थान में रख दिया गया है? (क) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण (ख) बाल देखरेख संस्थान

(iii) क्या यथास्थिति, बाल कल्याण अधिकारी/मामले पर कार्य करने वाला कर्मचारी/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है? क. हां ख. नहीं

(iv) क्या समिति के समक्ष माता पिता/संरक्षक द्वारा समर्पण डीड का निष्पादन किया जा रहा है?

क. हां ख. लागू नहीं

(v) क्या जिला बाल संरक्षण एकक और बाल देखभाल संस्थान या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा यह घोषणा प्रस्तुत की गई है कि बच्चे के लिए पुन:वापसी के सभी प्रयास किए जा चुके हैं?-

क. हां ख. नहीं

(vi) क्या जैविक माता-पिता या कानूनी संरक्षक के रूप में बच्चे का दावा करने के लिए जिला बाल संरक्षण एकक और बाल देखरेख संस्थान या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से किसी ने भी सम्पर्क नहीं किया है –

क. हां ख. नहीं

(vii) बच्चे को दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप में स्वतंत्र घोषित किए जाने से पूर्व अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत सभी समय-सीमा का पालन किया गया है –

क. हां ख. नहीं

गैर-संस्थागत देखभाल(दत्तकग्रहण के सिवाय) में रखे गए बच्चों के लिए संरक्षक का नाम (यदि लागू हो तो)

1. संरक्षक का नाम (यदि लागू हो तो)…….....…….
2. माता-पिता/संरक्षक की राष्ट्रीयता……...…….
3. माता-पिता/संरक्षक का धर्म.....
4. बच्चे की राष्ट्रीयता-
5. बच्चे का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पैनकार्ड का विवरण ……..
6. बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पान कार्ड का विवरण ……
7. जाति…….....……
8. बोली जाने वाली भाषा…….....……..
9. शिक्षा का स्तर……..
10. क्या बच्चे को सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत मुआवजा/राहत प्रदान की गई है……..
11. बच्चे को कहां रखा जा रहा है? –

    (क) संरक्षक (ख) फोस्टर केयर (ग) प्रायोजकता (ख) एकल माता-पिता
12. क्या बच्चे को एकल माता-पिता/संरक्षक द्वारा समर्पित किया जा रहा है?

    क. हां ख. नहीं ग. लागू नहीं

13. यदि हां, तो क्या समर्पण डीड बना ली गई है? क. हां ख. नहीं

14. **शिक्षा - (हां/नहीं/लागू नहीं)** यदि हां, तो

(i) क्या बच्चे को स्कूल या विशेष प्रशिक्षण केंद्र में नामांकित किया गया है? ……

(ii) यदि बच्चे को नामांकित किया गया है तो,……

(क) विद्यालय का नाम .....

(ख) सरकारी/निजी.....

(ग) कक्षा.....

(iii) उक्त स्कूल के शिक्षा कोर्ड के के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली ……

(iv) यदि बच्चे को विशेष प्रशिक्षण केंद्र में नामांकित किया गया है तो,

(क) वह केंद्र रिहायशी या गैर-रिहायशी …….

(ख) नामांकन की अवधि……

(v) क्या बच्चे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड(ग) के अंतर्गत विद्यालय में नामांकित किया गया है? हां/नहीं/लागू नहीं

(vi) क्या बाल कल्याण समिति ने उस विद्यालय, जिसमें बच्चा पढ़ रहा था, में शिक्षा को जारी रखने की सिफारिश की है? हां/नहीं

(vii) सिफारिश के आधार पर क्या बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा था, उसी विद्यालय में, शिक्षा को जारी रखे हुए है? हां/नहीं

(viii) क्या बाल कल्याण समिति ने बच्चे के लिए विद्यालय के स्थानांतरण की सिफारिश की है? हां/नहीं

(क) यदि हां, तो बाल कल्याण समिति द्वारा विद्यालय के स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए क्या कारण बताए गए हैं? .....

(ix) क्या बच्चे को नए विद्यालय में दाखिल/स्थानांतरित कर दिया गया है? हां/नहीं

(x) शिक्षा कोड के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली सहित नए विद्यालय का विवरण …….

(xi) पता और संपर्क विवरण …….

(xii) वह कक्षा जिसमें दाखिला/स्थानांतरण लिया गया है…….

(xiii) वह कक्षा जिसमें बच्चे को पिछले विद्यालय में ट्रांसफर किया गया है……

(xiv) बाल कल्याण समिति की सिफारिशों के आधार पर, बच्चे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) की उपधारा(1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत लाभ प्रदान कर रहा है? हां/नहीं

(xv) क्या बच्चे को उपयुक्त सरकार द्वारा नि:शुल्क शिक्षा दी जा रही है? हां/नहीं

(xvi) क्या बच्चा छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहा है? हां/नहीं

(क) यदि हां, तो छात्रवृत्ति का नाम बताएं ……..

(ख) छात्रवृत्ति की राशि……

(xvii) बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे की शिक्षा के लिए की गई कोई टिप्पणी और सिफारिश ……

15. प्रायोजकता

(i) क्या बाल कल्याण समिति द्वारा प्रायोजकता के लिए बच्चे की सिफारिश की गई है?

क. हां ख. नहीं (**यदि नहीं, तो इसके पश्चातवर्ती प्रश्न भी लागू होंगे)**

(ii) क्या बच्चे की प्रायोजकता को जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है :

क. हां ख. नहीं

(iii) प्रायोजकता की प्रकृति : i. सरकारी …… ii. निजी ……

(iv) प्रायोजकता का प्रकार :

(क) व्यक्तिगत से व्यक्तिगत प्रायोजकता

(ख) समूह प्रायोजकता

(ग) सामुदायिक या संगठनात्मक प्रायोजकता

(घ) प्रायोजकता के माध्यम से परिवारों को सहायता

(ङ) बाल गृह और विशेष गृह को सहायता

(च) निम्नलिखित के द्वारा प्रायोजकता

(i) संस्था

(ii) कंपनी

(iii) निकाय, पब्लिक या प्राईवेट है।

(छ) कोई अन्य

(v) क्या बालक ने प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन धन प्राप्त करना आरंभ कर दिया है :

क. हां

ख. नहीं

(vi) प्रायोजन की सिफारिश अवधि :

(vii) कोई अन्य जानकारी :

16. बालक की पुन:वापसी :

(i) क्या बालक को निम्नलिखित को वापस किया जा रहा है:-

एकल माता-पिता/जैविक माता-पिता/संरक्षक/संबंधी

(ii) उस व्यक्ति का नाम जिसे बालक को वापस किया जा रहा है……..

(iii) उस व्यक्ति का पता और संपर्क ब्यौरे, जिसे बालक वापस किया जा रहा है……

(iv) यदि बालक संरक्षक/संबंधी को वापस किया जा रहा है, तो :-

(v) संरक्षक/संबंधी के साथ बालक का संबंध .....

(vi) क्या संरक्षक/संबंधी के पास अपने स्वयं के बालक हैं? क. हां ख. नहीं

(vii) यदि हां, तो संरक्षक/संबंधियों के बालकों के ब्यौरे.....

(viii) संरक्षक/संबंधी की सामाजिक/वित्तीय स्थिति -

(ix) क्या बालक, उसी राज्य, जहां वह पाया गया था, में रहेगा?

हां/नहीं

(x) क्या बालक को पुन:वापसी हेतु किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित किए जाने की आवश्कयता है? हां/नहीं, यदि हां, तो:

(क) उस राज्य का नाम जहां पर बालक को पुन:वापस किया जा रहा है-

(ख) बालक को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरण के लिए एस्कार्ट की आवश्यकता है:

यदि हां, एस्कार्ट का पहचान दस्तावेज जैसे कि चालान अनुज्ञप्ति, आधार कार्ड आदि……

(ग) क्या उस राज्य, जहां बालक को स्थानांतरित किया जा रहा है, के संबंधित जिले का जिला बाल संरक्षण एकक/बाल कल्याण समिति को स्थानांतरण आदेशों के बारे में सूचित कर दिया गया है? हां/नहीं

(घ) क्या बालक के दस्तावेज़ों/सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट/व्यक्तिगत देखभाल योजना/बाल कल्याण समिति के आदेशों को राज्य संबंधित बाल कल्याण समिति को स्थानांतरित किर दिया गया है? हां/नहीं

(ङ) उस बाल कल्याण समिति के ब्यौरे जिसको मामला अंतरित किया गया है……..

(xi) बाल कल्याण समिति ने पुन:वापसी के पश्चात बालक के अनुवर्तन की सिफारिश की है: हां/नहीं

(xii) बालक के बैंक खाते की प्रास्थिति……..

(xiii) क्या बालक के सामान को बालक/माता-पिता/संरक्षक को सौंप दिया गया है : हां/नहीं

(xiv) पहचान पत्र और प्रतिकर:

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (कृपया जहां लागू हो वहां निशान लगाएं)		की गई कार्रवाई
	हां	नहीं	
जन्म प्रमाण पत्र			
स्कूल प्रमाण पत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
गरीबी रेखा के नीचे कार्ड			
विकलांगता प्रमाण पत्र			
टीकाकरण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से मिला प्रतिकर			

बालक की पुन:वापसी

(i) क्या बालक को पुन:वापस किए जाने की आवश्यकता है? हां/नहीं

(ii) यदि हां, तो क्या यह पुन:वापसी निम्नलिखित के लिए है –

☐ अन्त:जिला

☐ अन्त:राज्य

☐ अन्त:देशीय

(iii) क्या बालक की पुन:वापसी में संबंधित सूचना के पश्चात में निम्नलिखित को सूचित कर दिया गया है :-

☐ जिला मजिस्ट्रेट

☐ राज्य सरकार

☐ केंद्र सरकार

(iv) क्या बालक की पुन:वापसी की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है? हां/नहीं ब्यौरे.....

(v) क्या पुन:वापसी किए जाने वाले बालक के ब्यौरे के बारे में यथास्थिति, राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सूचित कर दिया गया है?

(vi) कोई अन्य सिफरिश.....

.....

परीवीक्षा अधिकारी/

बाल कल्याण अधिकारी/जिला बाल कल्याण एकक के हस्ताक्षर

मुहर और सील, यदि उपलब्ध हो तो"

61. मूल नियमों के प्ररूप 16 के लिए निम्नलिखित प्ररूप को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 16

[नियम 17(1)(v), नियम 17(1)(vक) और 20(2)]

बाल कल्याण समिति द्वारा तिमाही रिपोर्ट

जिला

.....से.....तक अवधि के लिए तिमाही रिपोर्ट

बाल कल्याण समिति के ब्यौरे :

क्र.सं.	ब्यौरे	नियुक्ति की तारीख	प्रशिक्षण जिसमें भाग लिया गया
1.	अध्यक्ष		
2.	सदस्य 1		
3.	सदस्य 2		
4.	सदस्य 3		
5.	सदस्य 4		

बाल कल्याण समिति के पास लंबित मामलों के ब्यौरे :

क्र.सं.	तिमाही के आरम्भ में मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त होने वाले मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या	तिमाही के अंत में लंबित मामलों की संख्या	लंबित रहने के कारण

अंतिम आदेश							
तिमाही के दौरान पारित अंतिम आदेशों की कुल संख्या							
माता-पिता/संरक्षक/स्वस्थ व्यक्ति/स्वस्थ संस्था के पास छोड़ा	अन्य बाल कल्याण समिति को स्थानांतरित	बाल देखरेख संस्थान में रहने का आदेश दिया गया	विदेश में वापस किया गया	दत्तकग्रहण हेतु विधिक रूप में स्वतंत्र घोषित	पालन- पोषण संबंधी देखरेख/ प्रायोजकता/पश्चयवर्ती देखभाल के लिए आदेश दिया गया	एफआईआर फाइल करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड को सिफारिश की गई	बालक को प्रतिकर देने के लिए प्रक्रिया आरंभ की गई, यदि पात्र हो

बाल कल्याण समिति द्वारा वापस किए गए बालकों से संबंधित मामले का ब्यौरा:

क्र.सं.	वापस किए गए बालकों की संख्या			माता-पिता को वापस किए गए बालकों की संख्या	स्वस्थ व्यक्ति को पुन:वापस किए गए बालकों की सख्या		पुन:वापस किए गए और अनुवर्तन के लिए सिफारिश किए गए बालकों की संख्या
	समान जिला	भिन्न जिला	भिन्न राज्य		संरक्षक	रिश्तेदार	

बाल देखरेख संस्थाओं में बालक की मृत्यु के मामलों के ब्यौरे :

क्र.सं.	मृत बालक का नाम	मृत्यु का कारण	उस बाल देखरेख संस्था का नाम जिसमें बालक को रखा गया था।	बाल देखरेख संस्था में रहने की अवधि

भागे हुए बालकों के मामलों के ब्यौरे :

क्र.सं.	भागे हुए बालक का नाम	उस बाल देखरेख संस्था का नाम जिसमें बालक को रखा गया था	एफआईआर संख्या	बालक की पृष्ठभूमि

अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा गृहों का दौरा

दौरे की तारीख :

दौरा किए गए गृह का नाम और पता :.....

समिति की टिप्पणियां/सुझाव.....……

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

मुहर"

62. मूल नियमों के प्ररूप 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्रारुप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप 16 क

[नियम 43(2)] और (3)]

बाल कल्याण समिति द्वारा मासिक रिपोर्ट

जिला: .....

……...से……..तक अवधि के दौरान मासिक रिपोर्ट

दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र मामले से संबंधित ब्यौरे

बाल कल्याण समिति के समक्ष लंबित मामलों का ब्यौरा										
अनाथ				**परित्यक्त**				**समर्पित**		**कुल**
0-2 वर्ष तक के बालक		**2 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम के बालक**		**0-2 वर्ष तक के बालक**		**2 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम के बालक**		**बालक 0-18 वर्ष**		
2 मास से लंबित		**4 मास से लंबित**		**2 मास से लंबित**		**4 मास से लंबित**		**2 मास से लंबित**		
पुरुष	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**	

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

मुहर"

63. मूल नियमों के प्ररूप 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररुप 22

[नियम 19(8)]

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट

(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

1. **क्रम संख्या** …….
2. **बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत**……..

3. मामला संख्या……

4. जिला बाल संरक्षण एकक/सामाजिक कार्यकर्ता/मामले पर कार्य करने वाला कर्मचारी/गृह का भारसाधक व्यक्ति/गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा तैयार सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट

5. संरक्षण और देखभाल की आवश्यकता वाले बालक के ब्यौरे

(i) नाम…….

(ii) आयु…….. तिथि/मास/वर्ष ……..

(iii) लिंग…….

(iv) जाति : (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)

☐ सामान्य

☐ अनुसूचित जाति

☐ अनुसूचित जनजाति

☐ अन्य पिछड़ा वर्ग

☐ अन्य, विनिर्दिष्ट करें……

☐ ज्ञात नहीं……..

(v) धर्म……

(vi) पिता का नाम……

(vii) माता का नाम ……

(viii) संरक्षक का नाम……..

(ix) स्थायी पता…….

(x) पते की पहचान……

(xi) पिछले निवास का पता ……

(xii) पिता/माता/पारिवारिक सदस्य/संरक्षक की सम्पर्क सूचना……

(xiii) क्या बालक को व्याख्याता/अनुवादक की आवश्यकता है? हां/नहीं

(xiv) क्या बालक - अनाथ/परित्यक्त/अभ्यर्पित/अन्य है?

(xv) पूर्व संस्थानिक/मामला इतिहास और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई है ……

(xvi) पारिवारिक ब्यौरा : (हां/नहीं), यदि हां, तो.....

क्र.सं.	नाम और संबंध	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य संबंधी प्रास्थिति	मानसिक अस्वस्थता का इतिहास	नशे की लत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(xvii) कुटुम्ब के सदस्यों के बीच संबंध :

पिता और माता	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
पिता और बालक	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
माता और बालक	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
पिता और भाई-बहन	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
माँ और भाई-बहन	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
बालक और भाई-बहन	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
बालक और संबंधी	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं

6. समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के पूर्व बालक किसके साथ रह रहा था। (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)

- ☐ अभिभावक – माता/पिता/दोनों
- ☐ सहोदर भाई-बहन/सगे-संबंधी
- ☐ अभिभावक– संबंधी
- ☐ मित्र
- ☐ गलियों में
- ☐ रात्रि आश्रय स्थल
- ☐ अनाथ/छात्रावास/समान गृह
- ☐ बाल देखरेख संस्था :
  - ☐ बाल गृह
  - ☐ आश्रय गृह
  - ☐ विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसी
  - ☐ उपयुक्त सुविधा
- ☐ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)……..

7. अनाथ और परित्यक्त बालक की दशा में -

(i) बालक कहां मिला ? ……

(ii) बालक के जैविक माता-पिता/संबंधियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कृपया विनिर्दिष्ट करें

(iii) यदि बालक के जैविक आधार ज्ञात हों, तो बालक के माता-पिता दोनों की मृत्यु के कारण …….

8. क्या बालक को वापस घर भेजने की आवश्यकता है: हाँ/नहीं। यदि हां तो :

- ☐ अंतर जिला – घर वापसी
- ☐ अंतर राज्य – घर वापसी
- ☐ अंतर देशीय – घर वापसी

9. क्या बालक प्रायोजन के लाभ के लिए पात्र है: हाँ/नहीं

10. क्या बालक किसी स्कीम या हकदारी के लिए पात्र है। हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें) ……

11. क्या बालक को किसी माता-पिता की मृत्यु के संबंध में किसी प्रकार का प्रतिकर मिला है: हाँ/नहीं; कृपया विनिर्दिष्ट करें……..…

12. क्या बालक को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के अधीन लाभ मिलना चाहिए: हां/नहीं

13. बालक के लिए अनुशंसित वित्तीय सहयोग :

(i) क्या बालक को माता-पिता के पास उनकी आकस्मिक मृत्यु से पहले कोई संपत्ति/एफडी/नकद/बीमा/बैंक खाते थे: हां/नहीं; उसके ब्यौरे ……

(ii) क्या बालक के माता-पिता के पास कोई ऋण, बंधक, वित्तीय देनदारियां हैं? क. हां ख. नहीं. उसके ब्यौरे……

(iii) क्या उस बंधक के खिलाफ बालक के माता-पिता के पास कोई संपार्श्विक है? क. हां ख. नहीं। उसके ब्यौरे ……।

(iv) क्या बालक के माता-पिता का कोई कुटुम्ब कारबार है? क. हां ख. नहीं। उसके ब्यौरे…….....

(v) क्या बालक मृत माता-पिता से संपत्ति (स्व-अर्जित/पैतृक) में कोई अधिकार/हिस्सा प्राप्त किया है: हां/नहीं; उसके ब्यौरे ……...

14. बालक की शिक्षा के ब्यौरे :

(i) क्या बालक ने शिक्षा प्राप्त की है: हाँ/नहीं

(ii) यदि हाँ, तो किस कक्षा तक की शिक्षा विनिर्दिष्ट करें……

(iii) यदि बालक विद्यालय में नामांकित है, तो विद्यालय का नाम ……।

(iv) क्या बालक का विद्यालय शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली पर पंजीकृत है, यदि हाँ, शिक्षा संहिता के लिए राज्य एकीकृत जिला सूचना प्रणाली ……

(v) विद्यालय का प्रकार- सरकारी/प्राइवेट।

(vi) क्या बालक को विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकित किया गया है। हाँ नही। यदि हाँ, तो विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में बालक के नामांकन की अवधि विनिर्दिष्ट करें……

(vii) क्या विशेष प्रशिक्षण केंद्र आवासीय/गैर-आवासीय था

(viii) विद्यालय छोड़ने का कारण (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)

- ☐ पिछली कक्षा में विफल
- ☐ विद्यालयी गतिविधियों में कम रूचि
- ☐ अध्यापकों का असामान्य व्यवहार
- ☐ साथी-समूह का प्रभाव
- ☐ कुटुम्ब के लिए कमाना और सहायता करना
- ☐ अभिभावकों की अचानक मृत्यु
- ☐ विद्यालय में लड़ाई
- ☐ सख्त विद्यालय वातावरण
- ☐ विद्यालय से भागने के कारण अनुपस्थिति
- ☐ निकट में उचित स्तर का विद्यालय नहीं है
- ☐ विद्यालय में प्रताड़ना

☐ विद्यालय में अवमानना

☐ शारीरिक दंड

☐ निर्देश का माध्यम

☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)……

(ix) बालक के प्रति सहपाठियों का रवैया (यदि लागू हो) ……

(x) बालक के प्रति शिक्षकों और सहपाठियों का रवैया (यदि लागू हो) ……

(xi) व्यावसायिक प्रशिक्षण (यदि कोई हो) ……

15. महत्व के अन्य कारक यदि कोई हो ……।

16. बालक की आदतें : (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)

☐ टीवी/फिल्म देखना

☐ आंतरिक/आउटडोर खेल खेलना

☐ पुस्तकें पढ़ना

☐ ड्राइंग/चित्रकारी/कलाकारी/गाना

☐ धार्मिक गतिविधियां

☐ भिक्षा वृत्ति

☐ जुआ खेलना

☐ शराब का सेवन करना

☐ धूम्रपान करना

☐ नशीली दवाओं का उपयोग यदि कोई हो तो विनिर्दिष्ट करें……

☐ अन्य कोई हो तो, कृपया विनिर्दिष्ट करें……

17. पाठ्येतर रुचियां ……..

18. उत्कृष्ट विशेषताएं और व्यक्तित्व लक्षण ……।

19. अधिकांश मित्र हैं (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)

☐ शिक्षित

☐ समान आयु वर्ग के

☐ उम्र में बड़े

☐ उम्र में छोटे

☐ पुरुष

☐ महिला

☐ व्यसन/ लत

☐ विधि का उल्लंघन करने वाले बालक

20. यदि बालक वयस्कों का मित्र है, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें……

21. दोस्तों के प्रति बालक का रवैया……..

22. बालक के प्रति मित्रों का रवैया……

23. पड़ोस के बारे में पर्यवेक्षण (बालक पर आस-पड़ोस के प्रभाव का पर्यवेक्षण करने के लिए)……।

24. क्या बालक को कोई लत है- हाँ/नहीं, यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें……..

25. यदि बालक दिव्यांगता या विशेष आवश्यकता से ग्रस्त है या अंतिम रूप से बीमार है (यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें):

क. बालक की स्वास्थ्य प्रास्थिति

(i) श्वसन संबंधी विकार - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(ii) श्रवण दोष - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(iii) नेत्र रोग- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(iv) दंत रोग- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(v) हृदय रोग- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(vi) चर्म रोग-मौजूद/अज्ञात/अनुपस्थित

(vii) यौन संचारित रोग- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(viii) स्नायविक विकार- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(ix) मानसिक दिव्यांगता- उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(x) शारीरिक दिव्यांगता - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(xi) मूत्र मार्ग में संक्रमण-उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(xii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)……..

ख. क्या बालक दिव्यांग है - हाँ या नहीं, यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें-

(क) श्रवण दोष

(ख) भाषण दोष

(ग) शारीरिक अक्षमता

(घ) मानसिक दिव्यांगता

(ड.) लोकोमोटिव दिव्यांगता

(च) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)…….

ग. क्या बालक के पास विधि मान्य दिव्यांगता प्रमाणपत्र है। (यदि हां, तो ब्यौरे दें)

घ. बालक की मानसिक स्थिति: (वर्तमान और अतीत) ……।

ड. बालक की शारीरिक स्थिति: (वर्तमान और अतीत)……

च. क्या बालक को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है- हां/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें:

छ. वर्तमान स्कूली पाठ्यक्रम में पहले से ही सम्मिलित विशेष शिक्षा: हां/नहीं/लागू नहीं

ज. क्या बालक को किसी चिकित्सीय उपस्कर की आवश्यकता है या वह उपयोग कर रहा है। (यदि हां, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें) ……

झ. पूर्व संस्थानिक/मामला पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत देखभाल योजना यदि कोई हो तो ----------

ञ. क्या बालक को दिव्यांगता योजनाओं के अधीन कोई पेंशन मिल रही है। हां/नहीं (यदि हां तो विनिर्दिष्ट करें) ……

ट. कोई अन्य टीका-टिप्पणी/पर्यवेक्षण ……

26. यदि बालक बेसहारा बालकों/दुर्व्यापार वाले/नशीले पदार्थों/बाल श्रम की तस्करी में सम्मिलित बालकों से संबंधित है:

क. क्या बालक बेसहारा स्थिति में बालकों के अंतर्गत किसी भी श्रेणी का है: हां/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें:

(i) बिना सहारे के बालक अकेले सड़कों पर रहते हैं

(ii) बालक दिन में सड़कों पर रहते हैं और रात में अपने कुटुम्ब के साथ घर वापस आ जाते हैं जो पास की झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।

(iii) अपने कुटुम्ब के साथ सड़कों पर रहने वाले बालक :

ख. समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बालक किसके साथ रह रहा था :

(i) माता-पिता - माता/पिता/दोनों

(ii) भाई-बहन/रक्त संबंधी

(iii) अभिभावक–संबंधी

(iv) मित्र

(v) गली में

(vi) रात्रि आश्रय स्थल

(vii) अनाथालय/छात्रावास/इसी तरह के समान गृह

(viii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)……

ग. यदि बालक का घर से भागने का इतिहास/प्रवृत्ति है, हां/नहीं। यदि हाँ:

(i) घर में अनुशासन के प्रति माता-पिता का रवैया और बालक की प्रतिक्रिया क्या है.....

(ii) परिवार छोड़ने के कारण:

(क) माता-पिता/अभिभावक/सौतेले माता-पिता द्वारा दुर्व्यवहार

(ख) रोजगार की तलाश में

(ग) सहकर्मी समूह प्रभाव

(घ) माता-पिता की अक्षमता

(ड.) माता-पिता का आपराधिक रिकॉर्ड

(च) माता-पिता का अलगाव

(छ) माता-पिता की मृत्यु

(ज) गरीबी

(झ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ……

घ. बालक कहाँ पाया गया था, कृपया विनिर्दिष्ट करें ……।

ड. क्या बालक को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया है: हां/नहीं …….

च. क्या बालक कूड़ा बीनने में शामिल रहा है: हाँ/नहीं

छ. क्या बालक किसी गिरोह या वयस्कों या वयस्कों के समूह द्वारा उपयोग किया जाता है या नशीली दवाओं की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया गया है: हाँ/नहीं

ज. क्या बालक को किसी उद्देश्य के लिए खरीदा या बेचा या दलाली या दुर्व्यापार किया गया है: हाँ/नहीं, यदि हाँ:

झ. क्या माता-पिता की जानकारी में बालक का दुर्व्यापार किया गया था: हां/नहीं

ञ. क्या बालक को माता-पिता/रिश्तेदारों द्वारा बेचा गया था: हां/नहीं

यदि हाँ, तो क्या माता-पिता/रिश्तेदारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है: हाँ/नहीं

ट. क्या बालक को श्रमिक के रूप में नियोजित किया गया था: हां/नहीं, यदि हां:

(i) उद्योग जिसमें बालक कार्यरत था ……।

(ii) क्या बालक को काम पर शोषण का सामना करना पड़ा है: हाँ/नहीं

(क) भुगतान के बिना काम से निकाला गया

(ख) काम की लंबी अवधि के साथ कम या कम मजदूरी

(ग) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)……..

(iii) आय उपयोग का विवरण……..

(iv) बालक के सामने कोई व्यावसायिक खतरा: हाँ/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें.....

(v) क्या नियोक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है: हां/नहीं। यदि हाँ, तो मामले का विवरण विनिर्दिष्ट करें…….

(vi) बालक को दिया गया मुआवजा :

(क) अंतरिम

(ख) अंतिम

(ग) बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष

(ठ) पिछली संस्थागत/केस हिस्ट्री और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई हो ……

(ड) क्या बालक को अस्थायी आश्रय प्रदान किया गया है: हाँ/नहीं

(ढ) क्या बालक के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई गई है, निर्दिष्ट करें …….

(ण) कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन ……

27. यदि बालक ने यौन शोषण सहित किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना किया है, या किसी अपराध का शिकार हुआ है:

क. क्या बालक किसी अपराध का शिकार हुआ है: हां/नहीं

ख. बालक द्वारा सामना किए गए दुर्व्यवहार के प्रकार:

(क) मौखिक दुर्व्यवहार- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ……

(ख) शारीरिक शोषण- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)……

(ग) यौन शोषण द्वारा-

☐ सगे-संबंधी से रिश्तेदार

☐ गोद लेने द्वारा रिश्तेदार

☐ विवाह द्वारा रिश्तेदार

☐ संरक्षकता द्वारा रिश्तेदार

☐ पालक देखभाल में व्यक्ति

☐ एक ही या साझा घर में रहने वाला व्यक्ति

☐ किसी बालक को सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था के स्वामित्व, या प्रबंधन, या कर्मचारियों में कोई भी व्यक्ति

☐ विश्वास या अधिकार की स्थिति में कोई भी व्यक्ति

☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)……..

(घ) अन्य- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

ग. बालक द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के प्रकार:

(i) भोजन से इनकार- माता-पिता/भाई-बहन नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)**.....**

(ii) बेरहमी से पीटा गया- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(iii) चोट पहुँचाना- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)**.....**

(iv) निरोध- माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

(v) अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें)**.....**

घ. यौन शोषण के मामले में :

(i) अपराधी के साथ संबंध **.....**

(ii) अपराधी का लिंग **.....**

(iii) अपराधी की आयु **.....**

(iv) बालक अपराधी के संपर्क में कैसे आया **.....**

(v) उसी स्थान का कोई अन्य बालक जिसे अपराधी द्वारा दुर्व्यवहार/प्रताड़ित/उठाया/भेजा गया हो**....**

(vi) क्या कोई अन्य व्यक्ति/लोग अपराध में शामिल थे **.....**

(vii) क्या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत बालक को किसी मुआवजे की सिफारिश की गई है: हां/नहीं।

यदि अन्य कोई हो, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें **.....**

ड. पुलिस द्वारा दर्ज मामला/एफआईआर: हां/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें **.....**

च. क्या बालक साइबर धमकी का शिकार हुआ है: हां/नहीं। अगर हाँ:

(i) घर पर इंटरनेट सिस्टम का उपयोग करते समय साइबर धमकी

(ii) स्कूल में इंटरनेट सिस्टम का उपयोग करते समय साइबर धमकी

(iii) घर से स्कूल की कक्षाओं में भाग लेने के दौरान साइबर-धमकी

छ. क्या बालक को परामर्श दिया गया है: हां/नहीं, यदि हां, तो विवरण प्रदान करें **.....**।

ज. कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन**.....**

झ. पूर्व संस्थागत/केस हिस्ट्री और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई हो **.....**

28. यदि बालक बाल विवाह का शिकार है या विवाहित है:

क. पति या पत्नी का नाम **.....**।

ख. पति या पत्नी की आयु **.....**।

ग. विवाह की तिथि (दिन/मास/वर्ष)**.....**

घ. विवाह का स्थान**.....**

ड. बालक का विवाह कराने के कारण**.....**

च. बालक के विवाह कराने में शामिल लोग- **i.** माता-पिता **ii.** रिश्तेदार **iii.** अन्य।

छ. यदि अन्य हैं, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें……..

ज. क्या पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज किया गया है: हां/नहीं।

यदि हां, तो ब्यौरा दें……..

झ. यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो उसका ब्यौरा ……

ञ. कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन……..

29. क्या बालक को प्रत्यावासित करने की आवश्यकता है: हाँ/नहीं। अगर हाँ:

(i) अंतर-जिला प्रत्यावासन

(ii) अंतरराज्यीय प्रत्यावासन

(iii) अंतर-देशीय प्रत्यावासन

जांच का अवलोकन

30. भावनात्मक कारक ……

31. शारीरिक स्थिति ……

32. सामाजिक और आर्थिक कारक ……।

33. समस्याओं के विचारोत्तेजक कारण ……

34. मामले का विश्लेषण, अपराध के कारणों/योगदान कारकों सहित…

35. बालक की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के कारण……..

36. विशेषज्ञों की राय ली गई ……..

37. मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का मूल्यांकन……

38. बालक के जीवित माता-पिता/रिश्तेदारों/अभिभावक को बहाल करने के लिए जोखिम विश्लेषण …….

39. पिछला संस्थागत/मामला इतिहास और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई हो…

40. जिला बाल संरक्षण इकाई/मामला कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता की मनोवैज्ञानिक सहायता, पुनर्वास और बच्चे के पुन: एकीकरण के संबंध में सिफारिश और सुझाई गई योजना……

हस्ताक्षर

(अधिकृत व्यक्ति के)

*****"

64. मूल नियमों के प्ररूप 27 में, क्रम संख्या (1) में, मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii क) दर्पण आईडी नंबर ....."।

65. मूल नियमों के प्ररूप 39 में, शीर्षक में, "सामूहिक पालन पोषण देखरेख सहित" शब्दों का लोप किया जाएगा।

66. मूल नियमों के प्ररूप 46 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप 46

[नियम 21(10), 41(3) और 41(9)]

बालक देखभाल संस्थानों का निरीक्षण

(उपयुक्त अनुसार भरें)

दौरे की तारीख और समय :

बाल गृह का निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम :

1. ……..
2. ……..
3. ……

संस्था का नाम और पता :

सुविधा का प्रकार :_____(बाल गृह/संप्रेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षा स्थान/मुक्त आश्रय/विशेषीकृत दत्तकग्रहण संस्थाएं/उपयुक्त सुविधा)

यदि राज्य सरकार से सहायता प्राप्त/का सहयोग प्राप्त हो तो उस विभाग का नाम ……

यदि सरकार द्वारा संचालित:……..

प्रभारी व्यक्ति का नाम : ……..

संपर्क संख्या . …….

ई-मेल आईडी : …….

संकेतक	स्थिति (हां/नहीं)	टिप्पणियां (अनुपालन/ आंशिक अनुपालन के मामले)	अधिनियम/ विनियम
विधिक स्थिति			
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860/ भारतीय न्यास अधिनियम, 1882/कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन मूल संगठन का पंजीकरण			धारा 41/नियम 21: बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860/ भारतीय न्यास अधिनियम, 1882/ कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन मूल संगठन का पंजीकरण संख्या			
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन मूल संगठन का पंजीकरण			
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन मूल संगठन का पंजीकरण संख्या			
विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010, रजिस्ट्रीकरण (यदि कोई हो)			

कार्य			
मंजूर की गई क्षमता (संख्या में)			
संस्थानों में रखे गए बच्चों की कुल संख्या			नियम 18 और 19: समिति के समक्ष प्रस्तुत और जांच
बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के बिना गृहों में रह रहे बच्चों की संख्या			
क्या रह रहे बालकों की आयु 0-5 वर्ष के आयु समूह में है? (विनिर्दिष्ट करें)			
क्या रह रहे बालकों की आयु 18 वर्ष से अधिक है? (विनिर्दिष्ट करें)			
चालू मास में नए प्रवेशों की संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
ऐसे बालकों की संख्या जो वहां से चले गए/विमुक्त हुए? (विनिर्दिष्ट करें)			
मास के दौरान बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा संदर्भित बालकों की संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
मास के दौरान बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किए गए बच्चों की संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
पिछले मास के अंत में बालकों की संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
विशेष जरूरतमंद बालकों की संख्या, यदि हां तो (विनिर्दिष्ट करें)			
कुल बालकों की संख्या संस्था की क्षमता से कम है या अनुरूप है			धारा 41: बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण
4 मास से अधिक समय से रह रहे बालकों की संख्या			प्रेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षा का स्थान
प्रबंधन समिति			नियम 39: प्रबंधन समिति
एक साल में आयोजित की गई बैठकों का औसत संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
स्थापित की गई बाल समिति			नियम40: बाल समितियां
एक साल में आयोजित की गई बैठकों का औसत संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			
स्थापित की गई दत्तकग्रहण समिति			धारा 65: विशेष दत्तकग्रहण एजेंसी
एक साल में आयोजित की गई बैठकों की औसत संख्या (विनिर्दिष्ट करें)			

अल्प अवधि के लिए बालकों के मनः सामाजिक पुनर्वास के अतिरिक्त गतिविधि मुक्त आश्रय/आश्रय गृह कोई गतिविधि			मुक्त आश्रय
बालकों के संबंध में जानकारी केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाती है।			
भौतिक अवसंरचना			
भवन (किराया या स्वामित्व पर)			नियम 29: भौतिक अवसंरचना
नाम, बाल देखभाल संस्था के प्रकार, संपर्क को दर्शाने वाला नामपट्ट विवरण			
शिक्षा (कक्षा)			
शयन गृह/शयनशाला			
रसोईघर			
परामर्श			
टेलिविज़न के साथ मनोरंजन			
रोगी कक्ष			
पुस्तकालय			
आगंतुकों के लिए कक्ष			
व्यावसायिक प्रशिक्षण			
भोजन कक्ष			
भण्डार गृह			
अभिलेखालय			
कार्यालय कक्ष			
कर्मचारी निवास			
स्नान गृह			
प्रसाधन			
इंटरनेटयुक्त कम्प्यूटर			
चहारदीवारी/घेराबंदी			
10 साल से कम आयु के बच्चों के लिए अलग से रहने का स्थान			
संस्थागत सुविधा			नियम 26: बाल देखभाल संस्थाओं का
सुरक्षित भंडार किए गए रिकार्ड			
तात्कालिक नम्बर सहित आवश्यक विवरण			
ड्यूटी चार्ट			
मेनू चार्ट			
उपस्थिति प्रास्थिति			
साप्ताहिक कार्यक्रम अनुसूची			

कैंपस से बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा			प्रबंधन और मानीटरी
स्टॉफ और प्रबंधन से बच्चों के लिए अलग सुविधाएं			
सुविधाएं और सहयोग (उपकरण, कर्मचारी, पढ़ाने और सीखने के उपकरण) विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए			
दृश्य आवश्यकताएं			
बौद्धिक आवश्यकताएं			
श्रवण संबंधित आावश्यकताएं			
अस्थायी भारी उपकरण, फर्नीचर, या अन्य सामान जिन्हें बच्चे स्वयं खींच सकें, से मुक्त कमरे और शयनगृह			
छत की दीवारों, फर्श की कवरिंग, वस्त्रों, परदे, खिड़की के पर्दे, जुड़नार और उपस्करों की अच्छी स्थिति			
बालकों के शयनगृहों/शौचालयों में विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों में कर्मचारी/आगंतुकों के पहुंच के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश			
दीवारें और कम्पाउंड आकर्षक चित्रों/कार्टूनों/चित्रों आदि से रंगा हुआ			विशेष दत्तकग्रहण अभिकरण
बाहरी गेट के नज़दीक एक पालना रखा गया है या नहीं			
शिशु, छोटे बच्चे और बड़े बच्चों को अलग किया जाता है या नहीं			
शिशु और छोटे बच्चों के क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंध			
सुरक्षित क्षेत्र में शिशु और छोटे बच्चों की स्वतंत्र गतविधि			
शौचालय और स्नानगृह में निजता बनी है या नहीं			नियम 67: सुरक्षा उपाय
आधारभूत तात्कालिक मेडिकल देखभाल उपस्कर उपलब्ध हैं या नहीं			
विशेष तात्कालिक मेडिकल देखभाल उपस्कर उपलब्ध हैं या नहीं			
बाल अनुकूल स्नानगृह/बालकों के लिए विशेष रूप से स्नान गृह क्षेत्र (1:10) में उपलब्ध हैं या नहीं (*विनिर्दिष्ट संख्या*)			नियम 31: स्वच्छता और सफाई
विशेषरूप से बच्चों के लिए बाल अनुकूल शौचालय (1:7) उपलब्ध हैं या नहीं (*विनिर्दिष्ट संख्या*)			
सुरक्षित और संरक्षित पेयजल भंडारण उपलब्ध हैं या नहीं			

सभी बच्चों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है या नहीं			
उचित नाली और कूड़ा-करकट निपटान सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं			
स्टाफ			
एक भारसाधक व्यक्ति			नियम 26: बाल देखरेख संस्थाओं का प्रबंधन और मानीटरी
दो परामर्शदाता			
तीन बाल कल्याण अधिकारी/अस्थायी अधिकारी/मामला कार्यकर्ता			
चार गृह माता/गृह पिता			
एक मेडिकल अधिकारी (फिजिशियन)			
एक पैरामैडिकल स्टाफ			
एक स्टोर कीपर सह लेखाकार			
एक (अंशकालिक) आर्ट और क्राफ्ट सह संगीत अध्यापक			
एक (अंशकालिक) शारीरिक प्रशिक्षण संचालक- सह-योगा प्रशिक्षक			
एक चालक			
दो रसोईया			
दो सहायक			
दो हाउस कीपिंग			
सुरक्षा गारद			
अन्य कोई			
क्या भर्ती के रिकार्ड सहित प्रत्येक स्टाफ की व्यक्तिगत फाइलें उपलब्ध हैं			
संदर्भ जांच			
कार्य प्रोफाइल			
प्रदर्शन का मूल्यांकन			
बालिका इकाई के लिए महिला अधीक्षक/प्रबंधक/प्रभारी उपलब्ध			
कर्मचारियों का प्रशिक्षण			
कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण अर्थात्: सामाजिक कार्यकर्ता			नियम 89: बच्चों के साथ रहने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण
बाल कल्याण अधिकारी			
मामला कार्यकर्ता			
पुनर्वास सह नियोजन अधिकारी			
देखभाल करने वाले			
गृह पिता और गृह माता			
सुरक्षा कर्मी और अन्य कर्मचारी			

बाल देखभाल संस्थान के कर्मचारियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं			
पुनर्वास-सह-नियोजन अधिकारी			नियम 65: पुनर्वास-सह-नियोजन अधिकारी
परिसर में रहने वाले अधीक्षक/प्रबंधक/प्रभारी			नियम 61: बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य
बाल देखरेख सुविधाएं			
पर्याप्त/सुरक्षित खिलौने उपलब्ध हैं और बालकों के लिए सुलभ हैं या नहीं			नियम 38: आमोद-प्रमोद संबंधी सुविधाएं
खेलने के लिए पर्याप्त उपयुक्त रूप से सुसज्जित बाहरी स्थान उपलब्ध है और बच्चों के लिए सुलभ है या नहीं			
विशेष आपातकालीन चिकित्सा देखभाल उपकरण (एमसीई) के साथ बेबी केयर यूनिट की उपलब्धता है या नहीं			
शिशुओं और बच्चों के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित खिलौनों की उपलब्धता है या नहीं			
व्यक्तिगत बिस्तर उपलब्ध हैं और बच्चों को दिए जाते हैं या नहीं			नियम 29: भौतिक अवसरंचना
रहने और गतिविधियों के लिए आयु वर्ग के अनुसार बच्चों को अलग किया गया है या नहीं			
रहने और गतिविधियों के लिए लिंग के अनुसार बच्चों को अलग किया गया या नहीं			
बच्चों को चोट के जोखिम को कम करने के लिए या जितनी जल्दी हो सके इसके लिए स्टाफ पर्यवेक्षक के अधीन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं या नहीं			नियम 34/35: चिकित्सा देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य
भावनात्मक संकट में बालकों की सक्रिय निगरानी (डर, आघात या बीमारी के कारण) है या नहीं			
रोकथाम और दुरुपयोग से सुरक्षा			
बाल संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया			नियम 76: बच्चे के साथ दुर्व्यवहार और शोषण
कर्मचारी और प्रबंधन द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाता है			
दुरुपयोग की रोकथाम सहित कार्यात्मक और सुलभ शिकायत और शिकायत निवारण तंत्र स्थित है, जैसे			

सुझाव बॉक्स			
चाइल्ड हैल्पलाइन			
सीसीटीवी कैमरे			
बाल समितियां			
नियमित स्टाफ-चिल्ड्रन इंटरफेस			
बच्चों का प्रशिक्षण और अभिविन्यास			
सुझाव या शिकायत पुस्तिका में मिली कोई शिकायत			
दैनिक दिनचर्या			
गतिविधि की दैनिक दिनचर्या का पालन किया जाता है			नियम 32: दैनिक दिनचर्या
बच्चों की समिति के साथ परामर्श से या आवश्यकता के अनुसार दैनिक दिनचर्या तैयार की जाती है			
संस्था में प्रमुख स्थानों पर दैनिक दिनचर्या सार्वजनिक डिस्प्ले पर है			
पोषण			
कर्मचारी, विकास के परिवर्तनीय चरणों में बालक की पोषण संबंधी आवश्यकता से अवगत है			नियम 33: पोषण और आहार पैमाना
बच्चों के परामर्श से भोजन का प्लान किया जाता है			
भोजन निर्धारित मानदंडों/आहार पैमाने के अनुसार प्रदान किया जाता है			
बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है			
त्यौहारों/अवसरों के दौरान विशेष भोजन करवाया जाता है			
डॉक्टर की सलाह के अनुसार बीमार/विशिष्ट स्वास्थ्य वाले बालकों को विशेष आहार प्रदान किया जाता है			
गृह को दानदाताओं से प्रायोजित पका हुआ/बिना पका भोजन, दोपहर का भोजन, रात का खाना आदि प्राप्त होता है			
पका हुआ भोजन यदि प्रायोजित है तो परोसने से पहले देखभालकर्ता द्वारा इसकी जांच की जाती है			
आया/देखभाल करने वालों की देखरेख अन्य कर्मचारियों द्वारा की जाती है जब वे बच्चों को खाना खिला रही होती हैं			

वस्त्र, बिस्तर की स्वास्थ्यकर			
सभी बालकों को मानदंड के अनुसार व्यक्तिगत, स्वच्छ, मौसमी और उम्र के अनुकूल कपड़े, वस्तुएं और प्रसाधन प्रदान किए जाते हैं।			नियम 30: वस्त्र, बिस्तर, प्रसाधन सामग्री और अन्य वस्तुएं
सभी बच्चों को मानदंडों के अनुसार व्यक्तिगत, स्वच्छ, मौसम के अनुसार उपयुक्त चटाई और सोने की सामग्री प्रदान की जाती है			
आवश्यकतानुसार सोने की सामग्री को नियमित रूप से साफ/स्वच्छ किया जाता है या पुन: उपयोग करने से पहले			नियम 31: स्वच्छता और स्वास्थ्यकर
संक्रमण और बीमारी की रोकथाम के लिए कमरों को नियमित रूप से धूप देकर कीटाणुरहित किया जाता है और सामग्री प्रदान की जाती है			
प्रत्येक बालक को अपना सामान रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान आबंटित किया गया है			
पुराने सामान जैसे कपड़े, चादरें, चटाई, बिस्तर आदि दान करने पर उपयोग करने से पहले साफ/कीटाणुरहित कर दिए जाते हैं।			
क्या बच्चों के लिए घर में निम्नलिखित सुविधाएं उपलबध हैं: पंखे			
कूलर			
एयरकंडीशनर			
सर्दियों के लिए हीटर			
स्वास्थ्य देखभाल			
प्रवेश पर प्रत्येक बालक का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है			नियम 34/35: चिकित्सा देखभाल/मानसिक स्वास्थ्य
हर बालक के नियमित स्वास्थ्य जांच होती है			
प्रत्येक बालक के पास स्वास्थ्य कार्ड है और रिकार्डों/फाइलों का रखरखाव और अद्यतन किया जाता है			
रात में घर में नर्स/पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध है			
स्टाफ/नर्स द्वारा बालक को दवाएं दी जाती हैं			
प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है			
6 साल तक के बच्चों का अनिवार्य टीकाकरण किया जाता है			

शिक्षा			
शैक्षिक निर्धारण आयोजित किया जाता है और प्रत्येक बालक की आवश्यकता को पूरा किया जाता है			नियम 36/69: बालकों की शिक्षा/ संस्थागत प्रबंधन
सभी बालकों को उम्र के अनुकूल औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है			
खेलने के तरीके से सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से शिशुओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने पर पर्याप्त जोर दिया जाता है।			
आयु उपयुक्त, व्यवहार्य और बाजार उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है			नियम 37: व्यावसायिक प्रशिक्षण
बच्चों को प्रदान किए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण का चयन करने के लिए उनसे चर्चा की जाती है।			
आयु उपयुक्त जीवन कौशल शिक्षा प्रदान की जाती है			
मनोरंजन			
बालकों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं			नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं
बालकों के लिए आउटडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं			
कर्मचारी बालकों के साथ ऐसी मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न होते हैं			
सहयोग/भागीदारी, लचीलापन, आदि विकसित करने के लिए किसी भी नवीन गतिविधियों का उपयोग किया जाता है			
प्रवेश और रिपोर्टिंग			
नियमित समय के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष सभी प्रवेश के लिए बच्चों को प्रस्तुत किया जाता है			धारा 31/ नियम 18: समिति के समक्ष प्रस्तुत
गृहों में सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के आर्डर की अनुपालना में घर में रखा जाता है।			
निर्धारित समय-सीमा के अंदर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष सभी प्रवेश लिए गए बालकों को प्रस्तुत किया जाता है।			धारा 10/नियम 9: बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत
किशोर न्याय बोर्ड के आर्डर की अनुपालना में सभी बच्चों की अवलोकन गृहों, विशेष गृहों/सुरक्षा स्थानों पर रखा जाता है।			
बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड के			

माध्यम से प्रत्येक बालक की बहाली			
जैसा कि निदेशित है निर्धारित समय के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रत्येक बालक की पूर्ववृत्त जमा करवायी जाती है।			नियम 19 / 69: पूछताछ/ बालकों का संस्थागत प्रबंधन
गृह ने बालक के जैविक माता-पिता/अभिभावक का पता लगाने के प्रयास किए हैं।			
गृह द्वारा जैविक परिवारों का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है।			
व्यक्तिगत मामला अभिलेख			
प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार की जाती है।			
यदि हां, प्रत्येक बच्चे के लिए तैयार की गई व्यक्तिगत देखभाल योजना कार्यान्वित की जाती है।			
एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता या अनुभवी व्यक्ति ने प्रत्येक बालक के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजना (आईसीपी) तैयार की है।			
आईसीपी बालक के प्रवेश के 30 दिनों के अंदर गृहों में बालकों के लिए तैयार की जाती है।			
अभिलेखों का रखरखाव			
गृह मास्टर प्रवेश रजिस्टर रखते हैं।			नियम 77: रजिस्टरों का प्रबंधन
गृह बालकों को ट्रैक करने के लिए मास्टर प्रवेश रजिस्टर को नवीनीकृत करता है।			
गृह, गोद लेने के उद्देश्य से केंद्रीकृत डेटाबेस और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित पोर्टल में मास्टर प्रवेश रजिस्टर को अद्यतन करता है।			
वर्तमान में उपस्थित बालकों की संख्या उपस्थिति रजिस्टर से मेल खाती है			
बालकों के बारे में मासिक डेटा राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी/जिला बाल संरक्षण इकाई, जैसा भी मामला हो, को भेजा जाता है			नियम 22: मुक्त आश्रय
बहाली का दस्तावेजी प्रमाण- इसके संबंध में पहचान प्रमाण के साथ माता-पिता/अभिभावक का पत्र उपलब्ध है			
क्या गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त बच्चों का विवरण संस्था द्वारा रखा जाता है।			
बाल देखरेख संस्थान बालक की सभी प्रासंगिक जानकारी रखता है अर्थात् -			
व्यक्तिगत देखभाल योजना के साथ व्यक्तिगत मामला फाइल			

मामला पूर्ववृत्त			
जांच रिपोर्ट			
बाल कल्याण समिति के आदेश			
चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट (एमईआर)			
बाल अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर)			
गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर)			
जन्म प्रमाणपत्र			
न्यायालय के आदेश			
तिमाही प्रगति रिपोर्ट			
स्वास्थ्य रिपोर्ट			
प्रत्येक बालक का परामर्शदाता या सामाजिक कार्यकर्ता की रिपोर्ट, सामाजिक पूर्ववृत्त/ मामला पूर्ववृत्त व्यक्तिगत फाइल में उपलब्ध है			नियम 77: रजिस्टरों का रखरखाव
बालक के साथ बातचीत की प्रारंभिक रिपोर्ट अभिलेख में है			
रजिस्टर			
मास्टर नामांकन और छोड़ने का रजिस्टर			
पर्यवेक्षण रजिस्टर			
प्रत्येक बालक का मामला फाइल			
चिकित्सीय फाइल और चिकित्सीय रिपोर्ट			
बालकों और कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर			
आदेश पुस्तिका			
जांच रिपोर्ट की फाइल			
बालकों के सुझाव की पुस्तिका/फाइल			
वाउचर, रोकड़ पुस्तिका, लेजर, जर्नल/ रोजनामचा और वार्षिक खाते			
अनुदान उपयोग रजिस्टर			
स्टॉक रजिस्टर			
प्रबंध समिति की बैठकों के कार्यवृत का अभिलेख			
शिकायत समिति			
कर्मचारी- बाल संवाद			
कर्मचारियों की बैठकें			
पोषण/ आहार रजिस्टर			
बजट विवरण रजिस्टर			
आंगतुक पुस्तिका			
कर्मचारियों की क्रियाकलापों का रजिस्टर			
व्यक्तिगत सामानों का रजिस्टर			

बालकों की क्रियाकलापों का रजिस्टर			
यदि विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण है			
बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभिकरण में एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता/ अनुभवी कार्मिक है			
बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त करने की घोषणा के बाद प्रत्येक बालक की औपचारिक बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाती है			
गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभिकरण में एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता/ अनुभवी कार्मिक है			
बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त करने की घोषणा के बाद प्रत्येक बालक की चिकित्सीय जांच रिपोर्ट बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा तैयार की जाती है			
गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने में लंबित थी			
बाल अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने में लंबित थी			
बाल चिकित्सीय जांच रिपोर्ट पूरी होने में लंबित थी			
दत्तक ग्रहण के लिए बालकों और भावी दत्तक ग्राही माता-पिता से संबंधित रिपोर्ट को केन्द्रीकृत डाटाबेस और पोर्टल पर अपलोड और अद्यतन किया जाता है			
दत्तक ग्रहण से संबंधित			
जैसे ही बालक दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त हो जाते हैं, अभिकरण अविलंब बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट अपलोड करती है			**विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण**
प्रत्येक बालक के रेफरल और मिलान का निर्णय दत्तक ग्रहण समिति द्वारा लिया जाता है			
अभिकरण प्रत्येक गोद लेने योग्य बालक का दत्तक परिवार और नए परिवेश के साथ आत्मसात करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करती है			
अभिकरण ने दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को दर्शाने वाले पत्रक/पैम्फलेट/साहित्य/कोई अन्य प्रचार सामग्री विकसित की है			
दत्तक ग्रहण रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है और दत्तक ग्रहण के लिए रखे गए प्रत्येक			

बालक की पूर्ण दत्तक ग्रहण फाइल उपलब्ध है			
दत्तक ग्रहण के लिए रखे गए बालकों के नियमित अनुसरण			
अभिकरण देश में दत्तक ग्रहण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में रखे गए बालकों के संबंध में उनके गोद लिए जाने के बाद की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करती है/रखती है।			
गोद लेने के बाद के सभी अभिलेख इस तरह रखी गई है कि अभिलेख तक सभी लोगों की पहुंच न हो			
अभिकरण ने बालक की सभी जानकारी और दस्तावेज के साथ-साथ उसके सामान को भी सुरक्षित संरक्षण में रखा है			
जानकारी को कैसे संरक्षित किया जाए और अगर बच्चा अपना मूल वंश खोजने के लिए आता है तो उसका प्रसार कैसे किया जाए, इसके लिए एक योजना बनाई गई है			
देश में गोद लिए गए बालकों के मामले में कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ है			
अंतर देशीय रूप से गोद लिए गए बालकों के मामले में कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ है			
अभिकरण रजिस्ट्रीकृत सभी संभावित दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट अविलंब और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करती है			
अभिकरण किसी बालक को दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने और सौंपने और रेफरल की प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद दत्तक पूर्व–पालक देखरेख में रखती है।			
अभिकरण को मानदंडों के अनुसार दत्तक ग्रहण शुल्क प्राप्त होता है			
अभिकरण बालक के अध्यर्पण से पहले जैविक माता-पिता से उचित जानकारी प्राप्त करती है			
बाल कल्याण समिति की उपस्थिति में ही अभिकरण अध्यर्पण विलेख (सरेंडर डीड) निष्पादित करवाती है			
अभिकरण बालक के माता-पिता को अध्यर्पण के निहितार्थ जिसमें विदेशियों द्वारा बालक को गोद लेने की संभावना और उसके साथ आगे कोई संपर्क नहीं होना शामिल है के बारे में व्याख्या कर बताती है			
अभिकरण माता-पिता को सूचित करती है कि			

अध्यर्पण की तारीख से उन्हें साठ दिनों की पुनर्विचार करने की अवधि मिलेगी, जिस अवधि के दौरान वे बालक को वापस ले सकते हैं			
अभिकरण अविवाहित मां और जैविक माता-पिता की गोपनीयता बनाए रखती है			
यदि माता-पिता द्वारा दावा किया जाता है, तो पुनर्विचार की अवधि समाप्त होने के बाद अभिकरण बालक को जैविक माता-पिता को पुनर्स्थापित करती है			
अभिकरण संभावित दत्तक माता-पिता और बालकों को उनकी आवश्यकता पड़ने पर परामर्श प्रदान करती है			
गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार होने से पहले अभिकरण संभावित दत्तक माता-पिता को परामर्श प्रदान करती है			
अभिकरण संभावित दत्तक माता-पिता को दत्तक ग्रहण की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए दत्तक माता-पिता संघों, दत्तक परिवारों और पुराने दत्तक ग्रहण करने वालों से संपर्क करने की सलाह देती है/प्रोत्साहित करती है।			
अभिकरण दत्तक माता-पिता को सलाह देती है कि वे बड़े बालक का नाम न बदलें ताकि बालक को उसकी पहचान बनाए रखने में मदद मिल सके।			
वित्तीय पारदर्शिता			
वित्तपोषण के स्रोतों और संगठन की एक साथ या अलग से उपलब्ध सूचना का विवरण			
वित्तपोषण का स्रोत - सरकारी सहायता/ अनुदान			
राष्ट्रीय दानकर्ता			
अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता (एफ सी आर ए)			
कारपोरेट दानकर्ता			
स्वयं का स्रोत			
अन्य			
इसके द्वारा अनुरक्षित परियोजना वार बैंक खाते (खातों) की संख्या, उद्देश्य, प्राप्त राशि सहित उपलब्ध एफसीआरए खाते का विवरण			खाते एवं लेखा परीक्षण
गृह वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संगठन के लेखा परीक्षित खातों की एक प्रति, राज्य सरकार को			

प्रस्तुत करता है			
अधिकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वार्षिक खातों का ऑडिट किया जाता है			
लेखा और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के लेखा परीक्षित विवरण की प्रतियां, गृह ने सक्षम प्राधिकारी को पिछले 2 वर्षों के रिटर्न प्रदान किए हैं।			
मानदंड और लिए गए समय के अनुसार अनुदान जारी किए जाते हैं			
अभिकरण ने पिछले दो वर्षों के दौरान देश में और दूसरे-देशों के लिए अलग-अलग प्राप्त बालक के गोद लेने के शुल्क के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान की है।			**विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण**
अभिकरण को निर्धारित मानदंडों के अलावा गोद लेने का शुल्क प्राप्त होता है			
अभिकरण गोद लेने के शुल्क को प्राप्त करने और उपयोग करने सहित वित्तीय अभिलेख रखती है			
गृह, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संगठन के लेखा परीक्षित खातों की एक प्रति प्रस्तुत करता है			
दत्तक ग्रहण अभिकरण निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार दत्तक ग्रहण शुल्क के रूप में उपलब्ध धन का उपयोग करती है			
अधिकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सालाना खातों का ऑडिट किया जाता है			
निरीक्षण			
निरीक्षण समिति द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			नियम41: निरीक्षण
निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक प्रदान किया गया			
फीडबैक / प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
बाल कल्याण समिति द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			धारा 30: समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व
बाल कल्याण समिति द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक दिया गया			
फीडबैक /प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			जेजे समिति और डब्ल्यूसीडी द्वारा संचालित निरीक्षण
उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा			

निरीक्षण पर फीडबैक दिया गया			
फीडबैक /प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
महिला एवं बाल विकास विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			
महिला एवं बाल विकास विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक प्रदान किया गया			
फीडबैक /प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			नियम 91: राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गृह का निरीक्षण
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक प्रदान की गई			
फीडबैक /प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक दिया गया			
फीडबैक /प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
पूर्व में गृह का सोशल ऑडिट हो चुका है और रिपोर्ट सकारात्मक आई है			
गृह के पास निरीक्षण सिफारिशों की एक प्रति और उस पर कार्रवाई का अभिलेख है			नियम 41: निरीक्षण
निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कोई सुधार हुआ है			
कार्यक्रम संबंधी संपर्क			
बालकों के लिए चिकित्सा देखरेख और मानसिक स्वास्थ्य सेवा			नियम 34: चिकित्सा देखरेख
शिक्षा			नियम 36: शिक्षा
व्यावसायिक प्रशिक्षण			नियम 37: व्यावसायिक प्रशिक्षण
जीवन कौशल, कला और नृत्य और नाटक चिकित्सा और व्यावसायिक उपाय और अन्य मुद्दों पर आधारित कार्यशालाएं			नियम 38: मनोरंजन की सुविधाएं
खेल सहित मनोरंजक गतिविधियाँ			
रुचि की कक्षाएं			
भाषण / फिजियोथेरेपी सहित स्वास्थ्य			नियम 35: मानसिक स्वास्थ्य
विधिक सहायता सेवा			नियम 39: प्रबंध समिति

नशामुक्ति सेवाएं			नियम 27: समुचित सुविधाएं
जन्म पंजीकरण, पहचान प्रमाण और आरक्षित/विशेष श्रेणी के प्रमाण पत्र के लिए उपयुक्त अधिकारियों सहित			
गृह ने विशेष आवश्यकता वाले बालकों के पुनर्वास के लिए अन्य बाल देखरेख संस्थानों के साथ संबंध स्थापित किए हैं			
बालकों की बहाली और पुनर्वास और जिनके साथ उनके संबंध स्थापित किए गए - बाल कल्याण समिति			
किशोर न्याय बोर्ड			
चाइल्ड हेल्पलाइन			
जिला बाल संरक्षण इकाई			
जिला प्रायोजन और पालन-पोषण अनुमोदन समिति			
दत्तकग्रहण के उद्देश्य से दत्तकग्रहण योग्य बालकों का विवरण बालकों और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित केन्द्रीकृत डाटबेस और पोर्टल पर अपलोड किया गया है			धारा 65: विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसी
विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण उसी परिसर में स्थित है			
जन्म पंजीकरण, पहचान प्रमाण और आरक्षित/विशेष श्रेणी के प्रमाण पत्र के लिए उपयुक्त अधिकारियों सहित			
कोई अन्य संस्थान भी उसी परिसर में स्थित है			

उल्लंघन

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और नियमों का उल्लंघन

2. (क) लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 का उल्लंघन।

   (ख) यदि हाँ, तो क्या लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 19 का पालन किया गया था?

3. कोई अन्य उल्लंघन/अवलोकन/टिप्पणियां / कोई नहीं।

बच्चों के साथ संवाद

निरीक्षण के दौरान, बालकों के साथ अनौपचारिक बातचीत उचित आयु वर्ग के बालकों के एक समूह के साथ खुले मैत्रीपूर्ण वातावरण में आयोजित की जा सकती है ताकि संस्थान में उनकी सुरक्षा, संरक्षा और अपराध से सुरक्षा के बारे में पता लगाया जा सके। बातचीत शिक्षा, कौशल, खेल, सह-पाठयक्रम गतिविधियों पर केंद्रित हो सकती है। बालकों की गोपनीयता भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

1. **संवाद का संचालन करने के लिए सामान्य सिद्धांत**

   संवाद संचालन करने में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों का पालन किया जाना है: -

   (i) गोपनीयता

   (ii) पारदर्शिता

(iii) सहभागिता

प्रश्नों को सरल और सामान्य रखें। दिखाएँ कि आप वास्तव में बालक /बालकों में रुचि रखते हैं।

2. **संबंध निर्माण और सामान्य बातचीत -** विषय के बारे में एक सामान्य, खुले अंत वाले प्रश्न के साथ चर्चा शुरू करें जैसे कि उस घर के बारे में विचार पूछना जिसमें बच्चे रह रहे हैं। निरीक्षण करने वाली टीम/अधिकारी बालकों से गृह के सकारात्मकता और नकारात्मकता के बारे में पूछ सकते हैं।

3. **सामान्य मुद्दों पर चर्चा-** निरीक्षण दल/अधिकारियों को बालकों से उनका विश्वास और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए साधारण प्रश्न पूछने चाहिए। साधारण प्रश्न प्रशासन और कर्मचारियों के साथ मुद्दों, घर में रहने के दौरान बालकों के सामने आने वाले मुद्दों, गृह के कर्मचारी कितने मददगार हैं, शिकायत की रिपोर्ट करने के उपाय और घर में बाल संरक्षण नीति के बारे में जानकारी पर केंद्रित हो सकते हैं।

4. **संवाद पर अवलोकन-**

---

5. यदि बाल शोषण का कोई मामला पाया जाता है/संदिग्ध होता है, तो उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

प्रेक्षण/टिप्पणियां: .....

निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम:

हस्ताक्षर:

निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम:

हस्ताक्षर:

निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम:

हस्ताक्षर:

निरीक्षण समिति के सदस्य का नाम:

हस्ताक्षर:"

67. मूल नियमों के प्ररूप 46 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप 46 क

[नियम 21(3) और नियम 21(15)]

बाल देखभाल संस्थान के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए निरीक्षण प्ररूप

राज्य :

जिला :

संस्थान का नाम:

शैक्षणिक सुविधाएं:

सुविधा का प्रकार : _____(बाल गृह/प्रेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षा स्थल/खुला आश्रय/विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी/उपयुक्त प्रसुविधा)

संस्थान का नाम और पता : .....

अधिनियम/नियम	सूचकांक	स्थिति (हां या नहीं)	टिपपणियां (अनुपालन न होने या आंशिक रूप ये अनुपालन के मामले में)
I. विधिक स्थिति			
बाल देखरेख संस्थान का पंजीकरण	सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860/भारतीय न्यास अधिनियम 1882/कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन मूल संगठन का पंजीकरण		
	सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860/भारतीय न्यास अधिनियम 1882/कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन मूल संगठन की पंजीकरण संख्या		
	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010, पंजीकरण (यदि कोई हो)		
II. भौतिक अवसंरचना			
नियम 29: भौतिक अवसंरचना	नाम, सीसीआई का प्रकार, संपर्क विवरण दर्शाते हुए प्रदर्शित साइनबोर्ड		
	चहारदीवारी/बाड़ लगाना		
	कक्षा		
	शयनशाला		
	रसोईघर		
	परामर्श		
	मनोरंजन		
	रोगी कक्ष		
	पुस्तकालय		
	आगंतुकों का कमरा		
	व्यावसायिक प्रशिक्षण		
	भोजन कक्ष		
	भंडार		
	रिकॉर्ड रूम		
	कार्यालय कक्ष		
	कर्मचारियों के लिए निवास		
	स्नानघर		
	शौचालय		
	छत की दीवारों, फर्श की बिछायतें, वस्त्र विन्यास, पर्दे (खिड़की के), फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण की अच्छी स्थिति		
	विशेष रूप से बालकों के लिए उपलब्ध बालकों के		

नियम 31: स्वच्छता और साफ-सफाई	अनुकूल स्नानघर/स्नान क्षेत्र (1:10)		
	विशेष रूप से बालकों के लिए उपलब्ध बालकों के अनुकूल शौचालय (1:7)		
	सुरक्षित और शुद्ध पेयजल का भंडारण उपलब्ध है		
	सभी बालकों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है		
	उचित जल निकासी और कचरा निपटान की सुविधा उपलब्ध है		
	विशेष रूप से बालकों के शयनशाला/शौचालय में कर्मचारियों/आगंतुकों की पहुंच के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत		
III. प्रबंधन/कर्मचारियों की तैनाती का तरीका			
नियम 26: बाल देखरेख संस्था का प्रबंधन और मानीटरी	1 प्रभारी व्यक्ति		
	2 परामर्शदाता		
	3 बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/मामला कार्यकर्ता		
	4 गृह माता/गृह पिता		
	1 चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक)		
	1 अर्द्ध-चिकित्सीय कर्मचारी		
	1 स्टोर कीपर - सह लेखाकार		
	1 कला और शिल्प सह संगीत शिक्षक (अंशकालिक)		
	1 (पीटी अनुशिक्षक सह योग प्रशिक्षक (अंशकालिक)		
	1 चालक		
	2 रसोइया		
	2 सहायक		
	2 हाउस कीपिंग		
	सुरक्षा गारद		
	अन्य कोई		
	बालिका इकाई हेतु महिला अधीक्षक/प्रबंधक/ प्रभारी उपलब्ध		
नियम 89: बालकों से व्यव्हार कर रहे कर्मियों का प्रशिक्षण	कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण - बाल अधिकार संरक्षण		
	देखभाल करने वाला		
	पुनर्वास		
	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015		
	मिशन वात्सल्य		
नियम 76: बालकों का	देखरेख करने वालों का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण		

दुरुपयोग एवं शोषण	बालकों का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण		
नियम 65: पुनर्वास -सह स्थापन अधिकारी	पुनर्वास -सह स्थापन अधिकारी		
नियम 61: किसी बाल देखरेख संस्था के भारसाधक व्यक्ति के कर्तव्य	अधीक्षक/प्रबंधक/प्रभारी परिसर में रहें		
IV. कार्यक्षमता			
नियम 29: भौतिक अवसंरचना	इंटरनेट सुलभ कंप्यूटर		
	सुरक्षित रूप से संग्रहीत रिकॉर्ड		
	आवश्यक विवरण सहित- आपातकालीन नंबर		
	ड्यूटी चार्ट		
	मेनू चार्ट		
	उपस्थिति स्थिति		
	साप्ताहिक कार्यक्रम अनुसूची		
	परिसर के बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा		
	कर्मचारियों और प्रबंधन से बालकों के लिए अलग सुविधाएं		
	विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सुविधाएं और सहायता (उपकरण, कर्मचारी, शिक्षण और शिक्षण सामग्री/सहायक सामग्री)		
	दृश्य आवश्यकताएं		
	बौद्धिक आवश्यकताएं		
	श्रवण आवश्यकताएं		
	अन्य		
	कमरे और शयनशाला में अस्थिर भारी उपकरण, फर्नीचर, या अन्य वस्तु नहीं हैं जिन्हें बालक अपने ऊपर खींच सकते हैं		
नियम 67: सुरक्षा उपाय	शौचालय और स्नान गृह क्षेत्रों में गोपनीयता बनाए रखी जाती है		
	आधारभूत आपातकालीन चिकित्सा देखरेख के उपकरण उपलब्ध		
	विशेष आपातकालीन चिकित्सा देखरेख उपकरण उपलब्ध		
V. दुर्व्यवहार से निवारण और संरक्षण			
नियम 76: बालक से दुर्व्यव्हार और उसका शोषण	बाल संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया		
	दुर्व्यवहार का निवारण सहित कार्यशील और सुलभ शिकायत और शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान है, जैसे- सुझाव पेटिका		

	चाइल्ड हेल्पलाइन		
	सीसीटीवी कैमरे		
	बाल समितियां		
	नियमित स्टाफ-चिल्ड्रन इंटरफेस		
VI. दैनिक दिनचर्या और सुविधाएं			
नियम 32: दिनचर्या	बाल समिति के परामर्श से और/या बालकों की सहभागिता या आवश्यकता के अनुसार दिनचर्या तैयार की जाती है		
	संस्था में प्रमुख स्थानों पर दिनचर्या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है		
नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं	पर्याप्त/सुरक्षित खिलौने उपलब्ध हैं और बालकों के लिए सुलभ हैं		
	खेलने के लिए पर्याप्त उपयुक्त रूप से सुसज्जित खुला स्थान उपलब्ध है और बालकों के लिए सुलभ है		
VII. पोषण और मनोरंजन			
नियम 33: पोषण और आहार मानक	कर्मचारी विकास के विभिन्न चरणों में बालकों की पोषण संबंधी आवश्यकता से अवगत है		
नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं	बालकों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं		
	बालकों के लिए आउटडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं		
	सहयोग/भागीदारी, लचीलापन, आदि विकसित करने के लिए किसी भी नवाचार कार्यकलाप का उपयोग किया जाता है		
VIII. कपड़े, बिस्तर की स्वच्छता			
नियम 30: कपड़े, बिस्तर, प्रसाधन और अन्य सामग्री	मानकों के अनुसार स्वच्छ, मौसमी और आयु के अनुकूल कपड़े, वस्तुएं और प्रसाधन उपलब्ध हैं		
	मानकों के अनुसार स्वच्छ, मौसमी उपयुक्त चटाई और सोने की सामग्री उपलब्ध है		
नियम 31: स्वच्छता और साफ-सफाई	सोने की सामग्री को नियमित रूप से या आवश्यकतानुसार पुन: उपयोग करने से पहले साफ / क्रीमी रहित किया जाता है		
	संक्रमण और रोग के निवारण के लिए प्रत्येक बालक को नियमित रूप से धूम्रीकरण (धूप में रखी गई सोने आदि की सामग्री), कीटाणुरहित और सामग्री प्रदान की जाती है		
	प्रत्येक बालक के लिए व्यक्तिगत सामान रखने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध है		
	क्या बालकों के लिए गृह में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:		
	पंखे		
	कूलर		
	एयर कंडीशनर		

	सर्दियों के लिए हीटर		
IX. स्वास्थ्य देखरेख			
नियम 34/35: चिकित्सा देखरेख/ मानसिक स्वास्थ्य	रात में गृह में नर्स/अर्द्ध-चिकित्सीय स्टाफ उपलब्ध है		
	प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए कर्मचारी प्रशिक्षित है		
X. शिक्षा			
नियम 36/69: शिक्षा	आयु अनुकूल शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त शिक्षा विकल्प उपलब्ध है		
नियम 37: व्यासायिक प्रशिक्षण	आयु उपयुक्त, साध्य और बाजारोन्मुखी का विकल्प उपलब्ध है		
XI. रिकार्डों का रखरखाव			
नियम 77: रजिस्टरों का रखरखाव	मास्टर प्रवेश और निर्वहन रजिस्टर		
	पर्यवेक्षण रजिस्टर		
	चिकित्सा फाइल और चिकित्सा रिपोर्ट		
	बालकों और कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर		
	आदेश पुस्तिका		
	जांच रिपोर्ट फ़ाइल		
	बालकों की सुझाव पुस्तिका/फाइल		
	वाउचर, रोकड़ पुस्तिका, बहि, रोजनामचा और वार्षिक लेखा		
	अनुदान उपयोग रजिस्टर		
	स्टॉक रजिस्टर		
	पोषण/आहार रजिस्टर		
	बजट विवरण रजिस्टर		
	आगंतुक पुस्तिका		
	कर्मचारी संचालन रजिस्टर		
	व्यक्तिगत सामानों से संबंधित रजिस्टर		
	बाल संचालन रजिस्टर		
XII. वित्तीय पारदर्शिता			
	वित्तपोषण के स्रोतों और संगठन की संपूर्ण/अलग से उपलब्ध सूचना के बारे में सूचना का विवरण		
	वित्तपोषण के स्रोत - सरकारी सहायता / अनुदान		
	राष्ट्रीय दाता		
	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय दाता		
	कॉर्पोरेट दाता		
	स्वयं के स्रोत		

	अन्य		
नियम 53: अधिकरण का लेखा-जोखा और लेखा परीक्षा	इसके द्वारा अनुरक्षित परियोजना वार बैंक लेखा (लेखाओं) की संख्या, उद्देश्य, प्राप्त रकम सहित उपलब्ध एफसीआरए लेखा का विवरण		

झ. पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिफारिश -

1. उल्लंघन या विसंगतियां या मानकों के अनुसार नहीं, का विवरण -
2. जिले में पहले से ही बाल देखभाल संस्थानों की _____ संख्या है (_____ बाल गृह की, _____ संप्रेक्षण गृह की, _____ आश्रय गृह की, ____विशेष गृह की, _____विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण की) और _____ किशोर न्याय बोर्डों की, _____ बाल कल्याण समितियों की, _____ जिला निरीक्षण समितियों की संख्या है और वर्तमान में अतिरिक्त बाल देखरेख संस्था की आवश्यकता/आवश्यकता नहीं है (जो लागू हो चिन्ह लगाएं)।
3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त बाल देखरेख संस्था का पंजीकरण/पंजीकरण का नवीनीकरण विचार करने की सिफारिश की जाती है।

या

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण/पंजीकरण का नवीनीकरण पर विचार करने की सिफारिश नहीं की जाती। (जो भी लागू हो)

हस्ताक्षर और मुहर

(नाम)

जिला मजिस्ट्रेट

जिला_____ राज्य_____

दिनांक _____

*****"

68. मूल नियमों के प्ररूप 46 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् -

"प्ररूप 47

[नियम 21क(5), (8) और 9)]

समूह पालन पोषण देखरेख के लिए निरीक्षण प्ररूप

(जो लागू हो भरें)

निरीक्षण करने की तारीख और समय :

गृह का निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम :

1. .....
2. .....
3. .....

समूह पालन पोषण देखरेख का नाम और पता :

पालन पोषण करने वाले माता-पिता के नाम :.....

संपर्क संख्या . .....

ई-मेल आईडी : .....

संकेतक	स्थिति (हां या नहीं)	टिप्पणियां (अनुपालन न करने या आंशिक रुप से अनुपालन करने की दशा में)	
विधिक स्थिति			
समूह पालन पोषण देखभाल की सुविधा का पूर्ववर्ती पंजीकरण			नियम 21 क : बाल देखरेख संस्था का पंजीकरण
पूर्ववर्ती पंजीकरण की अवधि			
क्या समूह पालन पोषण देखरेख का पंजीकरण किसी भी समय रद्द किया गया है		यदि हां, तो कारण विनिर्दिष्ट करें	
प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक पुलिस सत्यापन किया गया है या नहीं			
बालकों की स्थिति			
स्वीकृति क्षमता (संख्या में)			
संस्था में रखे गए बालकों की कुल संख्या			
जैविक बालकों की संख्या			
बाल कल्याण समिति द्वारा पालन पोषण देखरेख में रखे गए बालकों की संख्या			
बाल कल्याण समिति के आदेश के बिना पालन पोषण देखरेख में रखे गए बालकों की संख्या			
पालन पोषण देखरेख में रखे गए भाई-बहनों की संख्या			
क्या वहां 0-5 वर्ष की आयु के बालक रह रहे हैं? (संख्या विनिर्दिष्ट करें)			
चालू मास में नए नियोजन की संख्या			
पालन पोषण देखरेख में रखे गए बालक जो चालू मास में पालन पोषण देखरेख से बाहर चले गए जिसके अंतर्गत शामिल हैं :			
परिवार में पुन:स्थापित बालकों की संख्या			
सीसीआई में चले गए बालकों की संख्या			
दत्तकग्रहण में दिए गए बालकों की संख्या			
पालन पोषण देखरेख में रखे गए विशेष आवश्यकता वाले बालकों की संख्या			
भौतिक अवसंरचना			
भवन (किराये या स्वयं का)			नियम 29: भौतिक अवसंरचना
बालकों की स्वीकृत क्षमता के लिए कमरों की संख्या पर्याप्त है			
रसोईघर, उपलब्ध है या नहीं			

टेलीविजन सहित मनोरंजन			
बालकों की स्वीकृत क्षमता के लिए स्नानघरों की संख्या पर्याप्त है			
व्यक्तिगत बिस्तर उपलब्ध हैं और बालकों को प्रदान किए जाते हैं			
बालकों को रहने के लिए आयु वर्ग के अनुसार अलग किया गया			
बालकों को रहने के लिए लिंग के अनुसार अलग किया गया			
अवसंरचनात्मक सुरक्षा			नियम 26: बाल देखरेख संस्थाओं का प्रबंध और मानीटरी करना
क्या कमरे अस्थिर भारी उपकरण, फर्नीचर, या अन्य वस्तुओं से मुक्त है जो बालकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं			
क्या छत की दीवारें, फर्श की बिछायतें, वस्त्र विन्यास, पर्दे (खिड़की के), फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण अच्छी स्थिति में है			
शौचालय और स्नान क्षेत्रों में गोपनीयता बनाए रखी जाती है या नहीं			नियम 67: सुरक्षा उपाय
आधारभूत आपातकालीन चिकित्सा देखरेख उपकरण उपलब्ध है या नहीं			
विशेष आपातकालीन चिकित्सा देखरेख उपकरण उपलब्ध है या नहीं			
बाल देखरेख सुविधाएं			
पर्याप्त/सुरक्षित खिलौने उपलब्ध हैं और बालकों के लिए सुलभ हैं या नहीं			नियम 38: मनोरंजन सुविधाएं
खेलने के लिए पर्याप्त उपयुक्त रूप से सुसज्जित खुला स्थान उपलब्ध है और बालकों के लिए सुलभ है या नहीं			
दुर्व्यवहार का निवारण और संरक्षण			
क्या बाल संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू है या नहीं			नियम 23: पालन पोषण देखरेख
क्या बाल संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया रोक कर, बांधकर या किसी अन्य रूप में बालकों की गतिविधियों को प्रतिषेध करना/ निबंधित करना व्यवहार्य है या नहीं			
भोजन, आराम या शौचालय जाने से रोका गया है या नहीं			
बाल शोषण, उपेक्षा, क्रूरता आदि के किसी भी पूर्ववर्ती मामले को पालन पोषण परिवार के विरूद्ध रिपोर्ट की गई है या नहीं (ब्यौरा दें)			

पोषण			
पालन पोषण परिवार विकास के विभिन्न चरणों में बालकों की पोषण संबंधी आवश्यकता से जागरुक है या नहीं			नियम 33: पोषण और आहार मानक
बालकों के परामर्श से भोजन की योजना बनाई जाती है या नहीं			
कपड़े, बिस्तर की स्वच्छता			
क्या सभी बालकों को मानकों के अनुसार व्यक्तिगत, स्वच्छ, मौसमी और आयु के अनुकूल कपड़े, सामान और टायलेट्रीज उपलब्ध कराए जाते हैं या नहीं			नियम 30: कपड़े, बिस्तर, टायलेट्रीज और अन्य वस्तुएं
क्या सोने की सामग्री को नियमित रूप से या आवश्यकतानुसार पुन: उपयोग करने से पहले साफ/स्वच्छ किया जाता है या नहीं			नियम 31: स्वच्छता और स्वास्थ्य
क्या कमरों की नियमित रूप से सफाई की जाती है या नहीं			
क्या प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत सामान रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान आवंटित किया गया है या नहीं			
स्वास्थ्य देखरेख			
पालन पोषण परिवार को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है या नहीं			
पालन पोषण परिवार आधारभूत दवाओं से जागरुक है जो बालकों को बीमारी, आपात स्थिति के मामले में प्रशासित करने की आवश्यकता होगी या नहीं			
शिक्षा			
क्या सभी बालकों को आयु के अनुकूल औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है या नहीं			
क्या सभी बालकों का स्कूल में प्रवेश होता है या नहीं			
क्या सभी बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं या नहीं			
क्या पालन पोषण परिवार बालकों को उनकी शिक्षा जैसे गृह कार्य, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन में मदद करने में सक्षम हैं या नहीं			
मनोरंजन			
क्या बालकों के लिए इनडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं			नियम 38: मनोरंजन सुविधा

क्या बालकों के लिए आउटडोर मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं			
रिकार्डों का रखरखाव			
समूह पालन पोषण देखरेख बालक की सभी सुसंगत जानकारी रखता है अर्थात् -			
व्यक्तिगत केस फाइल			
सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट			
व्यक्तिगत देखरेख योजना			
व्यक्ति वृत्त/केस हिस्ट्री			
सीडब्ल्यूसी आदेश			
बाल अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर)			
गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर)			
जन्म प्रमाणपत्र			
तिमाही प्रगति रिपोर्ट			
स्वास्थ्य रिपोर्ट			
वित्तीय पारदर्शिता			
पालन पोषण परिवार की आय के स्रोतों के बारे में जानकारी उपलब्ध है			
पालन पोषण परिवार के पास पालन पोषण बालकों की स्वीकृत क्षमता के लिए पर्याप्त आय है			
वित्त पोषण के अन्य स्रोत (सरकारी/निजी)			
पूर्ववर्ती तीन वर्षों का प्रत्येक व्यक्ति का आयकर रिटर्न रिकार्ड			
निरीक्षण			
निरीक्षण समिति द्वारा गृह का निरीक्षण किया गया है			नियम 44: निरीक्षण
निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक प्रदान किया गया			
फीडबैक/प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
बाल कल्याण समिति द्वारा हर मास गृह का निरीक्षण किया जा रहा है			
गृह का निरीक्षण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया गया है			धारा 109/नियम 91: राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मानीटरी
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निरीक्षण पर फीडबैक प्रदान किया गया			

फीडबैक /प्रतिक्रिया रिपोर्ट सकारात्मक है			
निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कोई सुधार हुआ है			

I. उल्लंघन

(क) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का उल्लंघन।

यदि हाँ, तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 19 का पालन किया गया था?

(ख) कोई अन्य उल्लंघन/अवलोकन/टिप्पणियां:

II. पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिफारिश

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सिफारिश की जाती है कि उक्त समूह पालक देखरेख पंजीकरण/पंजीकरण के नवीनीकरण प्रदान करने के लिए उपयुक्त है और यदि नहीं तो - पंजीकरण/पंजीकरण के नवीकरण प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

हस्ताक्षर और मुहर

(नाम)

जिला मजिस्ट्रेट

जिला _____

राज्य _____

दिनांक _____

प्ररूप 48

[नियम 21(क)(7)]

समूह पालन पोषण देखरेख का पंजीकरण का प्रमाण पत्र

दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् और (दिनांक) ..... को आयोजित सुविधा के निरीक्षण के आधार पर इस सुविधा को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के अधीन.....से..... वर्षों की अवधि के लिए समूह पालन पोषण देखरेख के रूप में मान्यता दी जाती है।

समूह पालन पोषण देखरेख किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 और समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य रहेगा।

इस दिन दिनांकित .....20 .....

(हस्ताक्षर)

नाम और पद ……

प्ररुप 49

[नियम 15(4क)]

समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए शपथपत्र

मैं.....बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मैं यह सत्यापित करता हूँ कि अधिनियम की धारा 27(4क) में अधिकथित किसी भी शर्त के कारण वर्जित नहीं हूँ।

(1) मेरे ऊपर मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी पिछला रिकार्ड नहीं हे।

(2) मुझे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराधों के मामले में पूर्ण क्षमा नहीं दी गई है।

(3) मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार तथा भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उपक्रम से/सेवा से नहीं हटाया गया है।

(4) मैं कभी भी बाल अपराध या बाल श्रम नियोजन या अनैतिक कार्य या मानव अधिकारों या अनैतिक कार्यों के उल्लंघन में लिप्त नहीं पाया गया हूँ, या

(5) मैं जिले में बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग नहीं हूँ।

2. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है तो मैं दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

(व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम और अन्य विशिष्टियां

प्ररुप 50

[नियम 21 क(2)]

समूह पालन पोषण देखरेख के लिए आवेदन करने वाले पालन पोषण परिवार/व्यक्तियों द्वारा घोषणा

मैं/हम .....समूह पालन पोषण देखरेख के लिए आवेदन करते हुए यह प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि :

(i) मेरा/हमारा कोई पिछला दोषसिद्धि रिकार्ड नहीं रहा है।

(ii) मैं/हम किसी भी अनैतिक कार्य या बाल शोषण या बाल श्रम के किसी भी कार्य में शामिल नहीं रहे हैं।

(iii) मुझे/हमें केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

2. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है, तो मैं दांडिक कार्रवाई और तत्काल अयोग्यता के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

(व्यक्तियों/पालन पोषण परिवार के हस्ताक्षर)

नाम और अन्य विशिष्टियां"

[फा. सं. सीडब्ल्यू-II/1/2016-सीडब्ल्यू-II-भाग(1)]

तृप्ति गुरहा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 898(अ), तारीख 21 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।